

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट Abridged Annual Report 2014-15

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र

CENTRAL BANK OF INDIA

Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



निदेशक मंडल

श्री राजीव ऋषि

श्री आर.के. गोयल

श्री बी.के. दिवाकर

डॉ. आर. सी. लोढा

डॉ. सौरभ गर्ग

श्री शेखर भटनागर

श्री कृष्ण सेठी

श्री एम.पी. शोरावाला

श्री एस.बी. रोडे

श्री गुरबख्श कुमार जोशी

श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा

लेखा परीक्षक

मे. कुमार चोपड़ा एंड एसोशिएट्स

मे. पी.के. सुब्रमणियम एंड कंपनी

मे. दूगड़ एंड एसोशिएट्स

मे. एन. सरकार एंड कंपनी.

मे. बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी.

मे. चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एलबीएस मार्ग, भांड्प (पश्चिम)

मुम्बई -400078

टेलीफोन: 022-25946970

फैक्स : 022-25946969

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंदरमुखी

नरीमन पॉईंट

मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in;

investors@centrabank.co.in

BOARD OF DIRECTORS

SHRI RAJEEV RISHI

SHRI R.K. GOYAL

SHRI B.K. DIVAKARA

Dr. R.C. LODHA

Dr. SAURABH GARG

SHRI SHEKHAR BHATNAGAR

SHRI KRISHAN SETHI

SHRI M.P. SHORAWALA

SHRI S.B. RODE

SHRI GURBAX KUMAR JOSHI

SMT. N.S. RATHNAPRABHA

AUDITORS

M/s Kumar Chopra & Associates

M/s P.K. Subramaniam & Co.

M/s Doogar & Associates

M/s N. Sarkar & Co.

M/s B.N. Misra & Co.

M/s Chandabhoy & Jassoobhoy

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg, Bhandup (West)

Mumbai-400078

Tel: 022-25946970

Fax: 022-25946969

E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer

Central Bank of India

9th Floor, Chandermukhi

Nariman Point

Mumbai 400 021

Contact No. 022- 6638 7818

Fax No.: 022- 2283 5198

Email id: agmcompsec@centralbank.co.in;

investors@centrabank.co.in



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2014-15 बैंक के लिए एक सुदृढ़ीकरण का वर्ष रहा है. बाजार परिदृश्य के अनुरूप ही विकास-स्तर औसत रहा. बैंक ने अपना ध्यान कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिम जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों पर केन्द्रित करने की कार्यनीति अपनाई, जिसके परिणाम वर्ष के दौरान प्राप्त होने शुरू हो गये हैं.

विकास की संभावनाओं के मद्देनजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगामी वर्ष यद्यपि बेहतर रहना संभावित है, तथापि, निकटवर्ती समय में मंदी का प्रभाव जारी रहेगा. तेल की घटती कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में कमी और मजबूत यूएस अर्थव्यवस्था के चलते, विकासशील देशों के लिए आगामी वर्ष के बेहतर रहने की प्रत्याशा है. जहां चीन में विकास की रफ्तार घटकर उसके आधिकारिक लक्ष्य 7% की तुलना में कम हो रही है, वहीं भारत अगले दो वर्षों में प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर है.

हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के स्थान पर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी सीरीज़ जारी किए जाने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है. इस नई सीरीज़ में परिष्कृत कार्यप्रणाली नियोजित है तथा इसमें काफी अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भारत जीडीपी प्राक्कलन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आ गया है. नए प्राक्कलन का उपयोग करते हुए, वर्ष 2015-16 में बाजार मूल्य पर देश की जीडीपी में वृद्धि 8.1 से 8.5% के बीच होने की प्रत्याशा है. तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने संतुलित विकास का अनुमान दर्शाया है और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "साक्ष्य एवं सचेतक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की बजाय सुधार की व्याख्या के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं." सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों, मुद्रास्फीति में सतत कमी और घटती ब्याज दर की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के पुनरोत्थान में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी. अतएव, सुधार एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में सातत्यपूर्ण विकास के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक का व्यवसाय 6.41% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 4,23,390 करोड़ से बढ़कर रु. 4,50,539 करोड़ तक पहुंच गया. बैंक के जमा एवं ऋण में वृद्धि क्रमश: 6.46% तथा 6.35% रही. कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी, वित्तीय वर्ष 2013-14 के 33.33% के समक्ष 34.05% रही. व्यवसाय में लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, उच्च लागत जमाओं में उल्लेखनीय कमी की गई. कुल जमा में उच्च लागत जमा की हिस्सेदारी घटकर मार्च 2015 को 10.73% हो गई, जबिक मार्च 2014 में यह स्तर बहुत अधिक अर्थात 21.84% था. समेकित कोर जमा में 21.59% की वृद्धि के माध्यम से इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.3238 करोड़ में 9.91% की वृद्धि दर्ज करते रु.3559 करोड़ हो गया. साथ ही, बैंक ने रु.606 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष रु.(1263) करोड़ की शुद्ध हानि दर्शाई थी.



बैंक की जमा-लागत वित्तीय वर्ष 2013-14 के 7.24% से घटकर 7.22% हो गई, बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.6494 करोड़ से बढ़कर रु.7247 करोड़ हो गई, इसमें 11.60% की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु.1923 करोड़ से घटकर रु.1894 करोड़ हो गई.

पिछले कुछ वर्षों से बैंक की आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है. सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए वित्तीय वर्ष 2013-14 के 6.27% से घटकर 6.09% हो गया और शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए वित्तीय वर्ष 2013-14 के 3.75% से घटकर 3.61% हो गया. यह कमी बुनियादी क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, लौह एवं इस्पात, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण इत्यादि जैसे कुछ क्षेत्रों से सम्बंधित आस्तियों पर दबाव के कारण हुई. आपका बैंक एनपीए प्रबंधन के बारे में शुरू से ही सजग रहा है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सकल एनपीए को 5.25% से नीचे तथा शुद्ध एनपीए को 2.20% से नीचे नियंत्रित रखने के लिए बैंक अपना प्रयास जारी रखेगा.

अर्थव्यवस्था के 'अंतिम छोर' तक पहुंचने के लिए बैंक विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से समावेशी वृद्धि में पूरी तरह से जुड़ा रहा है. सरकार का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है, इनमें से आठ जिलों में हम अग्रणी बैंक हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इन जिलों एवं नए जिलों में और अधिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक के लिए और अधिक कासा जमा संग्रहित करने तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा. साथ ही, बैंक ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और दिनांक 31 मार्च, 2015 तक 57,17,895 खाते खोले हैं.

मार्च 2015 को अपनी 4689 शाखाओं का यह बैंक, जिसकी 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं हैं, अपनी पहचान **रिटेल बैंक** के रूप में बनाए रखेगा. आपका बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे.

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

शुभकामनाओं सहित, आपका,

हस्ता/-


राजीव ऋषि

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



Shri RAJEEV RISHI
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



श्री आर. के. गोयल Shri R. K. GOYAL कार्यपालक निदेशक Executive Director



श्री बी. के. दिवाकर Shri B. K. DIVAKARA कार्यपालक निदेशक Executive Director



डॉ. आर. सी. लोढ़ा Dr. R. C. LODHA कार्यपालक निदेशक Executive Director

(जारी/Contd...)



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



डॉ. सौरभ गर्गDr. SAURABH GARG
भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director



श्री शेखर भटनागर Shri SHEKHAR BHATNAGAR आरबीआई नामित निदेशक RBI Nominee Director



श्री कृष्ण सेठी Shri KRISHAN SETHI गैर-सरकारी निदेशक Non-Official Director



श्री एम. पी. शोरावाला Shri M. P. SHORAWALA गैर-सरकारी निदेशक Non-Official Director



श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा Smt. N. S. RATHNAPRABHA गैर-सरकारी निदेशक Non-Official Director



श्री एस. बी. रोडे Shri S. B. RODE अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director



श्री गुरबख्श कुमार जोशी Shri GURBAX KUMAR JOSHI कर्मकार कर्मचारी निदेशक Workmen Employee Director



सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जून 2015 को पूर्वाह्व 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

- 1) दिनांक 31 मार्च 2015 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अविध में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.
- 2) वित्तीाय वर्ष 2014-15 का लाभांश घोषित करना.
- 3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके पश्चात योजना कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात विनियम कहा जाएगा) जोिक अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी . सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सं. डीबीओडी .बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 (जिसे इसके पश्चात आरबीआई अधिसूचना कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पास कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के दो निदेशकों का चुनाव करना.

यह **संकल्प लिया जाता है कि** अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों, जो एतद्द्वारा चुने गए हैं / चुनी गई हैं उनके चुने जाने / चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए / गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

स्थान: दिल्ली (ए. के. दास)

दिनांक: 25.05.2015 सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. विनिर्दिष्ट तारीख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार दिनांक 29 मई 2015 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.



4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रितिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्रितिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में प्रॉक्सी अथवा प्रितिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में प्रॉक्सी अथवा प्रितिनिधियों को उपस्थिति करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2015 (गुरूवार) से दिनांक 30 जून, 2015 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

8. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा/होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रिजस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अपने साथ लाएं.

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरिहत लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता



- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें). कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगित से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, तािक नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश रािश (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश रािश, वापसी रािश या अन्य प्रेषणों, यिद कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेत् अधिदेश उपयुक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अविध तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

 कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्य्म के तौर पर ई वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है तािक सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयाविध शनिवार दिनांक 27 जून, 2015 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ होकर सोमवार दिनांक 29 जून, 2015 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. एजेन्डा मद संख्या 3 को छोड़कर जिसके लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार दिनांक 29 मई, 2015 है, इस समयाविध के दौरान बुधवार दिनांक 24 जून, 2015 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.



- (ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
- (iv) अब अपना यूजर आईडी डालें
 - ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी
 - बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी
 - सी. भौतिक स्वकरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.
- (v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.
- (vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोंटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.
- (vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए								
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय अल्फान्यूमिरिक *पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक								
	यरधारकों दोनों के लिए लागू)								
	• वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन								
	फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर एवं सीक्वेन्स नंबर के 8 अंकों का प्रयोग करें.								
	• सीक्वेन्स नंबर 8 अंकों से कम होने की स्थिति में, नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में लिखने								
	पश्चात यथोचित संख्या में 0 लिखें, अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है एवं सीक्वेन्स नंबर 1 है								
	तब पैन फील्ड में RA0000001 डालें.								
जन्म तिथि	डीमेट खाते अथवा कथित डीमेट खाते अथवा फोलियो के लिए बैंक अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि प्रविष्ट करें.								
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा कथित डीमेट खाते के लिए बैंक अथवा फोलियो में दर्ज लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें.								
	• लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि डीओबी अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण								
	बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख								
	के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.								

- (viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, सबमिट टेब पर क्लिक करें.
- (ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे पासवर्ड क्रियेशन मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यत: लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें िक डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगें, बशर्ते िक कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है िक आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.
- (X) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.
- (xi) संबंधित कंपनी का नाम जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प विवरण एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमित दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमित दर्शाता है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशन्स फाइल' लिंक पर क्लिक करें.
- (xiv) 'रिजोल्यूशन' का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, सबमिट पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित



होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओ.के. पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु केंसिल पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

- (xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट 'कन्फर्म' करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं होगी.
- (xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर प्रिन्ट करने के लिए 'यहां क्लिक करें' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.
- (xvii)यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिको, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडिमन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए.
 अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छ्क है.
- खातों की सूची helpdesk.evotingcdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.
- (xix) ई-वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evotingcdslindia. com पर ई-मेल कर सकते हैं.
- मांचित्र कार्यसूची सं. 1 व 2 के लिए कट-ऑफ तारीख बुधवार दिनांक 24 जून, 2015 को बैंक की चुकता इिकटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. एजेन्डा कार्य सूची संख्या 3 के लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार 29 मई, 2015 होगी. तथापि बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- ॥ इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है
- IV ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु श्री प्रमोद एस. शाह, कार्यरत कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाणपत्र सं. 3804 का) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- V साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के तुरंत पश्चात सर्वप्रथम जांचकर्ता, बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे, उसके पश्चात कम से कम ऐसे दो गवाहों, जो बैंक की सेवा में नहीं हों, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गये वोटों को अनब्लॉक करेंगे एवं बैठक सम्पन्न होने के तीन दिनों के अंदर पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए यदि हो, कुल वोटों की समेकित जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा, को प्रस्तुत करेगा.
- VI जांचकर्ता की रिपोर्ट सिहत घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के दो (2) दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरणी

दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

• निदेशकों को चुनने में शेयरधारकों का अधिकार

बैंक की इिकटी शेयर पूंजी में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों की शेयर धारिता 18.5401% है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करते दो निदेशक शामिल होंगे. तदनुसार, उपर्युक्त पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा दो निदेशकों का चुनाव कराना आवश्यक है.

अत:, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो निदेशकों के चुनाव कराए जाने का संकल्प पास करने के लिए एजीएम के नोटिस की कार्यसूची में एक मद जोड़ी गई है.

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना विनियम, अधिसूचना के तत्संबधी प्रावधान, जो नीचे निर्देशित हैं, में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए पात्र हैं. दो निदेशकों का चुनाव नामांकन की जांच (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्त पदों के समान हो) अथवा यदि प्रतिभागी अधिक हों तो दिनांक 30 जून, 2015 को होने वाले चुनाव में चुने जाएंगे. चुने गए निदेशको को उनके चुने जाने अथवा चुने हुए माने जाने की तारीख की अगली तारीख से उनका कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

• विधिक-प्रावधान

निम्नलिखित सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं की प्रावधानों को परिलक्षित करती है:

अधिनियम योजना / विनियम	प्रावधान	संक्षि	क्षप्त विवरण
/अधिसूचनाएं			
बैंकिंग विनियम अधिनियम,	धारा 20	•	किसी भी निदेशक अथवा इनकी ओर से किसी को भी ऋण अथवा
1949			अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन	धारा 3(2ई)	•	वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध.
एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 9(3)(i)	•	शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की संख्या.
	धारा९ (३ए)(ए) से (सी)	•	विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान.
	धारा 9(3एए)	•	कोई भी व्यक्तितब तक निदेशक चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब
			तक वह फिट एवं ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर ईमानदारी एवं भारतीय
			रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार उपयुक्त स्थिति में
			न हो.
	धारा ९(३एबी)	•	भारतीय रिजर्व बैंक ने उप धारा(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना
			में किसी के फिट एवं उचित स्थिति का आकलन करने हेतु प्राधिकार,
			इस आकलन को करने का तरीका, इस आकलन के लिए अनुसरण
			की जाने वाली पद्धित एवं अन्य सभी मामले जो भी इसके लिए
			आवश्यक एवं प्रासंगिक हों को उल्लेखित किया है.
	धारा 9(3बी)	•	चुने गये ऐसे निदेशक को, जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं
			9(3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण न करता हो, को हटाने का भारतीय
			रिजर्व बैंक अधिकार प्रदान करती हैं.
	धारा 13(2)	•	विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता.



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं	खंड 9(4)	•	चुने गये निदेशक के पद कार्यालय की शर्तें
विभिन्नं प्रावधान) योजना 1970	खंड 10	•	बैंक के निदेशक चुने जाने से निरर्हता.
	खंड 11	•	निदेशक के कार्यालय को छोड़ना.
	खंड 11ए	•	चुने गये निदेशक को पद मुक्त. करना.
	खंड 11 बी	•	चुने गये निदेशक के कार्यालय में सामान्य पद को भरना.
	खंड 12(8)	•	कुछ व्यवस्थाओं में जिसमें निरीक्षक की रूचि हो, उनमें उनके हितों
			का प्रकटीकरण.
सेन्ट्रल बैंक ऑफ	विनियम 10	•	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग.
इंडिया (शेयर्स एवं बैठक)	विनियम 61	•	साधारण बैठक में मतदान
विनियम, 1998	विनियम 63	•	साधारण बैठक में निदेशकों का चयन
	विनियम 64	•	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	•	चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन
	विनियम 66	•	नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 67	•	चुनाव विवाद
	विनियम 68	•	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69		विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियम 70	•	प्रॉक्स <u>ी</u>
भारिबैं की अधिसूचना सं.	बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों	•	राष्ट्रीयकृत बैंकों के चयनित निदेशकों हेतु 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड.
डीबीओडी सं. बीसी सं. 46	का अर्जन एवं अंतरण)		
एवं 47/29.39.001/2007-	अधिनियम, 1970 के		
08 दिनांक 01 नवम्बर 2007	खंड ९(३एए) एवं खंड ९		
के साथ पठित अधिसूचना	(3एबी) के अनुसरण में.		
सं. डीबीओडी.बीसी.सं.			
95/29.39.001/2010-11			
दिनांक 23 मई 2011.			

• वेबसाइट पर दिए गए अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं का सारांश

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना, अधिनियम के सारांश सहित भारिबैं की दिनांक 1 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 46 एवं 47 /2939.001/2007-08 एवं दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11, हमारे बैंक की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध होगी. ये सारांश बैंक के प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021 में स्थित सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सेक्रेटरी को सम्बोधित अनुरोध पर नामांकन प्रारूप को प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात दिन मंगलवार, 16 जून, 2015 को अथवा इससे पूर्व ई-मेल भी किया जाएगा.

• अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं

अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9 (3ए) में वर्णित योग्यताओं का अनुपालन करेंगे और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रसित न हों और विनियम के विनियम 65 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- (ए) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होते हुए एक अभ्यर्थी जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है तो उसे:-
 - (ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,



बैंकिंग.

सहकारिता.

अर्थव्यवस्था,

वित्त.

विधि.

लघु उद्योग,

किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान, एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो;

- (बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा
- (सी) कुषकों, कामगारों, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.
- (बी)अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारिबें के अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो बैंक के निदेशक का नामांकन भरते समय ट्रैक रिकार्ड के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित', सत्यिनष्ठा और भारिबै द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो.
- (सी)इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करना होगा और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा.
- बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के उपरांत अयोग्यताएं
- (ए) बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निदेशक के रूप में नियुक्ति एवं निदेशक होने के लिए अयोग्य हो जाता है जब वह :-
 - (ए) यदि वह कभी किसी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित हुआ हो अथवा लेनदारों के साथ विवाद हो; अथवा
 - (बी)यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा
 - (सी)यदि वह फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा
 - (डी)यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 3 में पिरभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर प्रबंध निदेशक सिंहत अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सदृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो.

और

- (बी) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 की के अनुसार, यदि वह बैंक की निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है उसका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा.
- प्रतियोगियों के लिए शेयरधारकों की सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को बैंक के शेयरधारकों की सूची मंगलवार, दिनांक 2 जून, 2015 को/से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुम्बई के पक्ष में देय ₹ 50,000 (रुपए पचास हजार मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021 को सम्बोधित आवेदन प्रस्तुत करने पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी. इच्छक अभ्यर्थी शेयरधारकों की सूची की जांच कर सकते हैं एवं उससे कुछ अंश निकाल भी सकते हैं.

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में निरीक्षण हेतु सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं शनिवार



को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा (बैंक अवकाश को छोडकर). यदि कोई भी शेयरधारक इसकी प्रति अथवा रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग प्राप्त करना चाहता है तो प्रति 1000 शब्द अथवा उसके किसी भाग के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर यह उपलब्ध कराया जाएगा.

• चुनाव में भागीदारी

ऐसे शेयरधारक, जिनका नाम दिनांक 29 मई, 2015 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार सदस्य /लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, वे सभी केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र होंगे.

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो दिनांक 29 मई, 2015 के साधारण बैठक से पूर्व के विनिर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ के प्रदर्शन से एक वोट एवं मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रति शेयर हेतु एक वोट दे सकेगा.

नामांकन:

नामांकनों की वैधता

विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्तें:

- (ए) वह, चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तारीख शुक्रवार, 29 मई, 2015 को बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो;
- (बी) मंगलवार, दिनांक 16 जून, 2015 को (नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि), वह अधिनियम, योजना अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो;
- (सी)अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षिरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021 को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.
- (डी)शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ अभ्यर्थी का इस आशय का घोषणापत्र इस नोटिस में दिए गए घोषणा एवं नामांकन के प्रारूपों के नमूने के अनुसार किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासन (एश्युरेंस) रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकृत करता है और चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है, एवं वह निदेशक के रूप में नामांकन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अथवा किसी अधिनयम अथवा योजना अथवा विनियम अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसका व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और यह पृष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा.
- (ई) नामांकन प्रारूप एवं घोषणापत्र, विनियम द्वारा यथानिर्धारित संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia. co.in पर भी उपलब्ध है.)

नामांकन प्रारूपों की प्रस्तुति

निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिभागी निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

- (ए) विधिवत भरा हुआ घोषणापत्र;
- (बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
- (सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचनाएं, घोषणापत्र एवं वचन पत्र, संबंधित दस्तावेजों, अनुशंसा पत्र, अर्थात बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव इत्यादि के साथ हर प्रकार से पूर्ण सभी दस्तावेज मुहरबन्द लिफाफे में सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं



कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021 को बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस अर्थात मंगलवार, 16 जून, 2015 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किए जायें.

निदेशकों का चुनाव एवं दस्तावेजों की संवीक्षा

- ए) नामांकनों की संवीक्षा, नामांकन की प्राप्ति हेतु नियत तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात **बुधवार, 17 जून, 2015** को की जाएगी एवं किसी नामांकन के वैध न पाए जाने के मामले में उसकी निरस्तगी के कारणों को दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर दिया जाएगा.
- बी) नामांकनों की संवीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं दिनांक 23 मई, 2011 के 'उपयुक्त एवं यथोचित' दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के अधीन होंगे.
- सी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली **दो** रिक्तियों के लिए सिर्फ **दो** ही वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को चुना हुआ मान लिया जाएगा और इस प्रकार चुने जाने पर उनके नाम एवं पते प्रकाशित किएं जाएंगे. ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य हेतु आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. निर्वाचित अभ्यर्थी उनके निर्वाचित घोषित होने की तारीख से अगली तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे.
- डी) चुनाव होने की स्थिति में यदि वैध नामांकन दो से अधिक हो तो चुनाव में बहुमत प्राप्त अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नामों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा. वे दिनांक 1 जुलाई, 2015 से पदभार ग्रहण करेंगे.
- ई) कोई भी विवाद होने पर उसे विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

नामांकनों का वापस लिया जाना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह शनिवार, दिनांक 27 जून, 2015 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व तक किसी भी समय नामांकन वापस लेने का पात्र होगा.

निदेशकों के हित

बैंक के निदेशकों का कारोबार के उपर्युक्त मदों से संबद्ध अथवा उनमें रुचि होना समझा जाएगा, यदि वे चुनाव लड़ते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

स्थान: दिल्ली (ए. के. दास)

दिनांक: 25.05.2015 सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव



घोषणा पत्र (अभ्यर्थी द्वारा)

	(विनियम के नियम 65 का सन्दर्भ लें)
में श्री/श्रीमती	पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती
	निवास स्थान
	एतदद्वारा पुष्टि करता / करती हूं कि :
	तिथि शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ₹ 10 /- प्रत्येक के
	(पूर्ण प्रदत्त) फोलियो सं/
	/ग्राहक आईडी सं के अंतर्गत
शेयरधारक हूं. एवं	
	, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त व्यवस्था, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग,
	(भा.रि.बैं. की राय में जिसका विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव बैंक के
	ो (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के अनुरूप
जमाकताआ/कृषका, कामगारा एवं कारागर कर रहा/रही हुं; एवं	ों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूं जिनके प्रमाण स्वरूप मैं यहां आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत
	. से संख्या तक के नामांकन स्वीकार करता /करती हूं. एवं
	• •
डी) मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक क	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	प्रावधानों, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंक राष्ट्रीयकरण 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998 एवं भारिबैं अधिसूचना के
(प्रबन्धन एवं विविध प्रविधान) योजना, 1 अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जा	
	मॉफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ
	पुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक का न ही कर्मचारी हूं,
न ही कोई लाभ का पद धारण करता/करत	
•	ा हूं, जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है; एवं
. •	कितम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन गर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा एवं बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने पर क्लंगी.
नाम	
हस्ताक्षर शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	
उपर्युक्त घोषणाएं मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई है	
हस्ताक्षर एवं मुहर	<u> </u>
प्रमाणनकर्ता अधिकारी का नाम	
	डाधिकारी, आश्वासन पंजीयक अथवा उप पंजीय, अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा
	ह के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाय.
*जो भी लागू हों, उस पर निशान लगाएं.	



नामांकन प्रारूप

(शेयरधारक के लिए)

(विनियम के नियम 65 (डी) का सन्दर्भ)

क्रम.	सं.		

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,
चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुम्बई 400021
महोदय,

\sim $^{\prime}$	`		`	•
निदेशक	क	चुनाव	हत्	नामाकन

आपके नोटिस दिनांक 25.05.2015 के सन	दर्भ में मैं, श्री/श्रीमती
	चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित दिवस शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 सेन्ट्रल
	र्गतः प्रदत्त) केशेयरों का/की शेयरधारक हूं, एतदद्वारा श्री/श्रीमती
	पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमतीनिवास
	बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा
9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार, मंगलवा	ार, दिनांक 30 जून, 2015 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में, बैंक
के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व हेतु सेन्ट्रल बैंव	क ऑफ इंडिया का निदेशक चयनित होने के लिए नामांकित करता /करती हूं.
नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं.	
(यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट्स:

- 1. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन प्रारूप के साथ उस बैठक, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा इस हेतु संकल्प पारित किया गया हो, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति भी प्रस्तुत की जाय.
- 2. अभ्यर्थी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों के साथ मिलने चाहिए.
- 3. उपर्युक्त किसी कॉलम के खाली छोड़े जाने अथवा उसमें कोई विवरण असत्य पाए जाने पर नामांकन निरस्त होने योग्य होगा.



यहां अपना स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

व्यक्तिगत सूचना, घोषणापत्र एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

	दिनांक 2015 को यथोचित अनुलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र
I.	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
2.	पिता का पूरा नाम
3.	जन्म तिथि
4.	राष्ट्रीयता
5.	(1) स्थाई खाता सं. (आयकर अधिनियम के अंतर्गत)
	(2) आय कर सर्कल/डिवीजन का नाम एवं पता, जहां पर व्यक्तिगत कर प्राप्तियां जमा होती हैं.
6.	स्थाई पता
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)
8.	(1) ई-मेल आईडी
	(2) टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)
	(3) मोबाइल नं.
II.	योग्यता एवं अनुभव
1.	योग्यता (शैक्षिक/अकादिमक)
	(कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .
2.	योग्यता (व्यावसायिक)
	(कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .
3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार).
4.	अनुभव (कृपया बैंक के निदेशन से संबंधित आपके अनुभव का विवरण दें).
5.	बैंक के निदेशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी.
III.	अभ्यर्थी के संबंधियों का विवरण
1.	उन संबंधियों का विवरण, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हो किपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77), सहपठित कंपनी (परिभाषा विवरण की विस्तृत जानकारी) नियम, 2014 का नियम 4 का संदर्भ लें.
2.	ऐसी इकाइयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वे रुचि रखते हो किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें
3.	अभ्यर्थी के नाम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के धारित शेयरों का विवरण, यदि कोई हो,



	(कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, लेजर फोलियो नम्बर(रों) अथवा डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का विवरण दें).	
4.ए	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी पर्याप्त हितधारक माना जाता हो.	
4.बी	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी से संबंधित पार्टियां पर्याप्त हित रखती है.	
5.	पिछले छ: वर्षों के दौरान बैंक(कों) के बोर्ड(डों) का निदेशन/सदस्यता (कृपया बैंक(कों) के नाम, अधिनियम का संबंधित प्रावधान, जिसके अंतर्गत नियुक्ति/ नामांकन किया गया था एवं ऐसी सदस्यता/निदेशन की धारण अवधि).	
6.	उपरोक्त 3, 4(ए) एवं 5 में सूचिगत संस्थानों से वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा ली जा रही निधि एवं गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हो.	
7.	ऐसे मामले, जिनमें अभ्यर्थी अथवा उपर्युक्त मद सं 3, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीबद्ध इकाइयां सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं अथवा पूर्व में चूककर्ता रही हैं.	
IV.	व्यावसायिक उपलब्धियां	
1.	व्यावसायिक उपलब्धियां (कृपया उन उपलब्धियों का विवरण दें, जो बैंक निदेशन से संबंधित हों).	
V.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो,	
1.	क्या अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संस्था/संगठन का सदस्य है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, लंबित अथवा शुरु हुई हो अथवा पूर्व में उनके विरुद्ध में दोष सिद्धि में परिणित हुई हो, का विवरण अथवा वह कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित किया गया / की गई.	
2.	आर्थिक नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन के लिए निदेशक और/अथवा उपरोक्त खखख-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन, कोई हो, लंबित हो, शुरु हुआ हो अथवा पूर्व में दोष सिद्ध हुए अभियोजन का विवरण.	
3.	अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान मुकदमा, यदि कोई हो, सहित पूर्व में अभ्यर्थी के विरुद्ध हुए आपराधिक अभियोजन, लंबित अथवा प्रारंभ हुए अथवा दोष सिद्धि में परिणित हुए का विवरण.	
4.	क्या अभ्यर्थी/निदेशक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खण्ड 10 में वर्णित कोई अयोग्यता है ?	
5.	क्या अभ्यर्थी अथवा उपरोक्त खखख-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के अनुरोध पर कोई जांच हुई है?	
6.	क्या अभ्यर्थी कभी सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर / विदेशी मुद्रा विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा नियम/अधिनियम/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है ?	
7.	क्या अभ्यर्थी /िनदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए, भारिबैं, एमसीए, फेमा इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है.	



	(यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह अ आदेशों एवं निर्णयों, जिन्हें बाद हू-बहू उल्लेख करें परंतु तब अक की सीमाओं अथवा कभी जैसे त हो न कि मामले के गुणदोष के तौर पर स्थगित किया गया हो तब भी उसका उल्लेख किया ज	त्त्र त्र ए ई								
8.										
9.	क्या अभ्यर्थी ने अपनी व्यक्तिगत यदि हां, तो विवरण दें.	ा हैसियत से बैंक से कोई व्यवसाय किया है	?							
10.										
कोई हों,		पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त जानका धारक निदेशक के रूप में मेरे चुनाव के अनु से संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र बैंक को अ वांछित सहमति विलेख को निष्पादित करने	वर्ती घटित होने वाली ऐसी घटनाओं, यदि वगत कराते रहने का वचन देता/देती हूं.							
स्थान:										
दिनांक:			अभ्यर्थी का हस्ताक्षर							
संलग्नक:										
2. सभी पृ	नहां भी स्थान पर्याप्त न हो, वहां : ष्ट्रों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्य प्रमिति का अवलोकन	कृपया कालक्रमानुसार और समुचित अन्योन्य गर्थी के हस्ताक्षर आवश्यक है.	। सन्दर्भ सहित अनुलग्नक संलग्न करें.							
	TOTAL STOCKE OF STOCKED									
	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर							
दिनांक•										

स्थान :



कुल व्यवसाय (रु. करोड़ में)									
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48 %	18.10 %	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%
सीडी अनुपात	64.62 %	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62 %	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%

लाभप्रदता (रु. करोड़ में)										
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41%	
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06%	
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91%	
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)	147.98	
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60%	
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)	



निदेशक रिपोर्ट 2014-15

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्टय

- ♣ बैंक का कुल व्यवसाय रु. 27149 से बढ़कर रु. 4,50,539 करोड़ हो गया, जबिक पिछले वर्ष यह रु. 4,23,390 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.41% की वृद्धि दर्शाता है.
- 💠 कुल जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.46% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 15503 से बढ़कर रु.2,55,572 करोड़ हो गई.
- ♦ बैंक का कुल अग्रिम रु. 11646 करोड़ से बढ़कर रु.1,94,967 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.35% की वृद्धि दर्शाता है.
- ♦ परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 3238 करोड़ से बढ़कर रु.3,559 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.91% की वृद्धि दर्शाता है.
- ♦ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु.606 करोड़ शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु.1,263 करोड़ की शुद्ध हानि हुई थी, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 147.98% की वृद्धि दर्शाता है.
- र्पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-॥ के अंतर्गत) 11.89 प्रतिशत रहा. जिसमें टियर-। की हिस्सेदारी 8.46 प्रतिशत रही, जबिक पिछले वर्ष यह 11.96 प्रतिशत था. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- ॥ के अंतर्गत) 10.90 प्रतिशत रहा, जिसमें टियर-। की हिस्सेदारी 8.05 प्रतिशत रही, जबिक पिछले वर्ष यह 9.87 प्रतिशत था.
- शुद्ध मालियत रु. 13918 करोड़ से बढ़कर रु. 15643 करोड़ हो गई.
- ॐ बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के रु. 11500 करोड़ में रु. 373 करोड़ की वृद्धि के साथ, रु.11873 करोड़ हो गया. सकल एनपीए का अनुपात पिछले वर्ष के 6.27 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2014−15 में 6.09 प्रतिशत हो गया.
- शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के रु. 6649 करोड़ से बढ़कर रु. 6807 करोड़ हो गया. शुद्ध एनपीए प्रतिशत पिछले वर्ष के 3.75 प्रतिशत से घटकर
 3.61 प्रतिशत हो गया.
- 💠 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2014 के 50.68% से बढ़कर 55.16% हो गया.
- 💠 शुद्ध ब्याज मार्जिन वित्तीय वर्ष 2013-14 के 2.73 प्रतिशत से बढ़कर 2.79 प्रतिशत हो गया.
- 💠 प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 1025 लाख से बढ़कर रु. 1138 लाख हो गया.
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.21 प्रतिशत है.
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और यह पिछले वर्ष के रु. 68652 करोड़ से बढ़कर
 रु. 75997 करोड़ हो गया.
- ॐ बैंक का कृषि अग्निमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.61 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. वित्तीय वर्ष 2013-14 के रु. 35,387 करोड़ से बढ़कर यह रु. 35,957 करोड़ हो गया.
- ♦ सूक्ष्म ऋण एवं अन्य ऋण (प्रति उधारकर्ता रु.50,000 तक का ऋण) के अंतर्गत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रु.206 करोड़ तक का ऋण दिया.
- 💠 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के ऋण पिछले वर्ष के रु.21515 करोड़ से बढ़कर रु.26503 करोड़ हो गया.
- ♦ वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण 15.50 प्रतिशत बढ़कर कुल रु. 3,442 करोड़ हो गया.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों, जिनमें मध्यप्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) शामिल हैं, में 46 आरसेटी स्थापित िकए हैं. वर्ष 2014-15 के दौरान, आरसेटी ने 891 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित िकए हैं और 24290 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 14816 (अर्थात 61%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन निपटान एवं स्व-वित्त के माध्यम से उनकी आजीविका पूरी की है.



- 🔷 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2015 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1622 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,371 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,382 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. बैंक विहीन ग्रामीण केन्द्रों में 238 शाखाएं भी खोली हैं. बैंक ने अपनी 1427 आधार शाखाओं से सम्बद्ध अपनी कुल 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं खोली हैं. बैंक ने अपने बीसी एजेन्टों और शाखाओं के माध्यम से बेसिक सेविंग बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) के अंतर्गत 146.71 लाख खाते खोले हैं. दिनांक 31 मार्च, 2015 को इन खातों में कुल जमा शेष रु.763.99 करोड़ है.
- प्रधानमंत्री जन−धन योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 57.35 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं और रु.317.82 करोड़ की जमा के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाया है.
- ♦ बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पिछले वर्ष के रु.97,568 करोड़ से घटकर रु.97,608 करोड़ हो गया. इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 0.04 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हई.
- ♦ रिटेल ऋण 21.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह रु.34,939 करोड़ हो गया, जबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 को यह रु.28,811 करोड़ था.
- ♦ वित्तीय वर्ष 2014-15 में, बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय रु.25.27 करोड़ रही.
- ♦ दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक का पूरे देश में 4689 शाखाओं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी) 4835 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल का नेटवर्क है.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2014-15 की अवधि में आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं :

					रु. करोड़ में
		31.03.2015	31.03.2014	विचलन	%
1	ब्याज आय	26409	24427	1982	8.11
	–अग्रिम	19517	18620	897	4.82
	-निवेश	6707	5764	943	16.36
	-अन्य	185	43	142	330.23
2	अन्य आय	1894	1923	(29)	(1.51)
3	कुल आय (1+2)	28303	26350	1953	7.41
4	प्रदत्त ब्याज	19162	17933	1229	6.85
	-जमाराशियां	17520	16374	1146	7.00
	-अन्य	1642	1559	83	5.32
5	परिचालन व्यय	5582	5179	403	7.78
	–स्थापना	3825	3537	288	8.14
	-अन्य	1757	1642	115	7.00
6	कुल व्यय (4+5)	24744	23112	1632	7.06
7	स्प्रैड (1-4)	7247	6494	753	11.60
8	परिचालन लाभ (3-6)	3559	3238	321	9.91
9	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	2669	4233	(1564)	(36.95)
10	कर के लिए प्रावधान	284	268	16	5.97
11	शुद्ध लाभ	606	(1263)	1869	147.98

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- 💠 जमाओं पर प्रदत्त,, ब्याज 7.00 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2015 में रु. 17520 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु. 16374 करोड़ था.
- 💠 वर्ष के दौरान, कर्मचारियों पर व्यय रु.288 करोड़ से बढ़कर रु. 3825 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु.3537 करोड़ था.



3. प्रावधान

वर्ष 2014-15 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित रु.2953 करोड़ के कुल प्रावधान का पिछले वर्ष की तुलना विवरण निम्नानुसार है:

			(रु. करोड़ में)
	31.03.2015	31.03.2014	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	39	(7)	46
एनपीए के लिए प्रावधान	2610	3989	(1379)
निवेश पर मूल्यहास/प्रावधान	(21)	258	(279)
करों के लिए प्रावधान	284	268	16
अन्य	41	(7)	48
कुल	2953	4501	(1548)

लाभप्रदता अनुपात

		(प्रतिशत में)
	31.03.2015	31.03.2014
जमाओं की लागत	7.22	7.24
निधियों की लागत	7.34	7.37
अग्रिमों पर आय	10.75	10.79
निवेशों पर आय	8.22	7.84
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.79	2.73
लागत आय अनुपात	61.07	61.53

5. बैंकिंग अनुपात

		(प्रतिशत में)
	2014-15	2013-14
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	9.29	9.18
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.67	0.72
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	1.25	1.22
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.21	
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. लाख में)	1138	1025
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	153	

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं:

		31.03.2015	31.03.2014		
	बासल-॥	बासल−॥	बासल−॥	बासल-॥	
टियर-।	8.46	8.05	8.12	7.37	
टियर-॥	3.43	2.85	3.84	2.50	
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.89	10.90	11.96	9.87	

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

ॐ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु.606 करोड़ का लाभ अर्जित किया है. निदेशक मंडल ने प्रसन्नतापूर्वक इक्किटी शेयर पूंजी पर 5 प्रतिशत की दर से अर्थात प्रत्येक रु 10/- के इक्किटी शेयर पर रु. 0.50/- लाभांश देने की संस्तुति की है.



8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- श्री गुमान सिंह के अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 07 अगस्त, 2014 को समाप्त होने पर, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से वे अपने पद पर नहीं हैं.
- श्री अनिमेष चौहान की ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 से उनका बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद समाप्त हो गया है.
- प्रो. एन. बालकृष्णन, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से तीन वर्ष के लिए बैंक के शेयरहोल्डर निदेशक के लिए चुने गए थे, के कार्यकाल की अविध दिनांक 09 जनवरी, 2015 को कारोबारी समय के पश्चात, वे बैंक के निदेशक के पद पर नहीं हैं.

निदेशक मंडल द्वारा श्री गुमान सिंह, श्री अनिमेष चौहान एवं प्रो. एन. बालकृष्णन, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे हैं, प्रदत बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफ़ाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

10 निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पृष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- ♦ महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, तािक वित्तीय वर्ष की समािप्त पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं: एवं
- लेखे, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं.
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से परिचालित है.
- 💠 सभी लागू कानूनों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है एवं यह प्रभावी रूप से परिचालित है.

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरस: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

12. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के सतत समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली दिनांक : 25 मई, 2015



प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए: अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन

विकास की संभावनाओं के मद्दे नजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगामी वर्ष यद्यपि बेहतर रहना संभावित है तथापि; निकटवर्ती समय में मंदी का प्रभाव जारी रहेगा. तेल की घटती कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में कमी और मजबूत यूएस अर्थव्यवस्था के चलते, विकासशील देशों के लिए भी आगामी वर्ष के बेहतर रहने की प्रत्याशा है. जहां चीन में विकास की रफ्तार घटकर उसके आधिकारिक लक्ष्य 7% की तुलना में कम हो रही है, वहीं भारत अगले दो वर्षों में प्रगति पथ पर वढ़ने के लिए अग्रसर है.

हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के स्थान पर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी सीरीज़ जारी किए जाने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है. इस नई सीरीज़ में पिरष्कृत कार्यप्रणाली नियोजित है तथा इसमें काफी अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भारत जीडीपी प्राक्कलन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आ गया है. नए प्राक्कलन का उपयोग करते हुए, वर्ष 2015-16 में बाजार मूल्य पर देश की जीडीपी में वृद्धि 8.1 से 8.5% के बीच होने की प्रत्याशा है. तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने संतुलित विकास का अनुमान दर्शाया है और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि " साक्ष्य एवं सचेतक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की बजाय सुधार की व्याख्या के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं".

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों, मुद्रास्फीति में सतत कमी और घटती ब्याज दर की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के पुनरोत्थान में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी. अतएव, सुधार एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में सातत्यपूर्ण विकास के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है.

भाग बी-बैंक का कार्य-निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक का कुल व्यवसाय रु.450539 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के रु. 423390 करोड़ की तुलना में 6.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. परिचालन लाभ रु. 3559 करोड़ रहा, जबिक पिछले वर्ष यह रु.3238 करोड़ था, जो 9.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2014-15 में बैंक का शुद्ध लाभ रु.606 करोड़ रहा, जबिक पिछले वर्ष रु. 1263 करोड़ की हानि हुई थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2015 को कुल जमा रु. 255572 करोड़ थी, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. वर्ष 2014-15 में बचत बैंक जमा बढ़कर रु. 73810 करोड़ हो गई. इसमें पिछले वर्ष के रु. 66474 करोड़ की तुलना में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. तथापि, वर्ष 2014-15 में चालू जमा घटकर रु. 13202 करोड़ हो गई, जबिक वर्ष 2013-14 में यह रु. 13537 करोड़ थी. कुल जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी बढ़कर 34.05 प्रतिशत हो गई, जबिक पिछले वर्ष यह 33.33 प्रतिशत थी. वर्ष 2014-15 में कुल कोर जमा बढ़कर रु. 228137 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2013-14 में रु. 187635 करोड़ थी, यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबिक वर्ष 2014-15 में कोर साविध जमा 31.13 प्रतिशत से बढ़कर रु. 141125 करोड़ तक पहुंच गई, जबिक वर्ष 2013-14 में यह रु. 107624 करोड़ थी.

ऋण

दिनांक 31.03.2015 को बैंक का सकल ऋण रु. 194967 करोड़ हो गया, जबिक पिछले वर्ष यह रु. 183321 करोड़ था, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई. विविध क्षेत्रों के अंतर्गत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है :

रु. करोड में

	दिनांक 31.03.2014 को	दिनांक 31.03.2015 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	97608	97568	(0.04)
कृषि	35387	35957	1.63
एमएसई	21515	26503	23.18
रिटेल ऋण	28811	34939	21.27

ऋण निगरानी विभाग

बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.



प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है.

अत: इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2015 को रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत, कुल बकाया राशियां ₹ 34939 करोड़ हो गईं, जो दिनांक 31.03.2014 को ₹ 28811 करोड़ थीं. इस प्रकार ₹ 6128 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2014 पर 21% की वृद्धि दर्ज की. बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो का भाग 17.92% है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 89 प्राधिकृत डीलर शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए
 मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है तािक कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हािसल की जा सके.
- चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो दि.31.03.2014 के ₹ 5509 करोड़ से बढ़कर दि.31.03.2015 को ₹ 55721 करोड़ हो गया है.
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में के मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय टर्नओवर ₹ 44,166.25 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 43,783 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2013-14 के ₹ 2485.28 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 3079 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 23.89% की वृद्धि दर्शाती है.
- ♦ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2014 को यूएसडी 142.12 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2015 को यूएसडी 174.85 मिलियन हो गई, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2015 को बढ़कर ₹ 95655 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को ₹ 86384 करोड़ था. इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 10.73% की वृद्धि दर्ज की गई है. दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2014 के 8.83% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को 7.74% पर बंद हुआ है.
- ♦ वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थाई तरलता उपलब्ध कराने हेतु रेपो के अनेक प्रकार, मियादी रेपो, परिवर्तनीय मियादी एवं रिवर्स रेपो जैसे अनेक उपाय किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के अवमूल्यन को रोकने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं. वित्त वर्ष 2014-15 में रेपो रेट को दो बार में 0.50% (क्रमश: जनवरी 2015 में 0.25% एवं मार्च 2015 में 0.25%) कम की गई.

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर ॥ जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

वसुली

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपिरभाषित वसूली नीति मौजूद है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनयम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्त्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है. अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है.



वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹ 1365 करोड़ की नकद वसूली, ₹ 2336 करोड़ का अपग्रेडेशन, ₹ 1119 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की बिक्री, कुल मिलाकर ₹ 4820 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50.00 करोड़ एवं अधिक के 21 खाते कुल राशि ₹ 3092 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा.है.

सूचना प्रौद्योगिकी

दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है. कोर बैंकिंग समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स टीसीएस के साथ दिनांक 1 अक्तूबर 2012 से 5 वर्षों के लिए करार का नवीकरण किया गया है. नवीकृत अनुबंध नवीकरण प्रक्रिया में विद्यमान कंप्यूटिंग संसाधनों यथा हार्डवेयर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा तथा अन्य संबद्ध जरुरतें जैसे भावी अनुमानित व्यावसयिक लक्ष्यों के अनुरुप सीबीएस कार्यांवयन हेतु लाईसेंस नवीकरण तथा अन्य सांविधिक तथा सुरक्षा उत्तरदायित्व संपूर्ण ढांचे को सितम्बर 2017 तक बैंक की जरुरतें पूर्ण करने के उपयुक्त बनाया गया है.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. दिनांक 31.03.2015 को बैंक की 2195 मध्यम जोखिम रेटिंग की, 2303 निम्न जोखिम रेटिंग की तथा 60 उच्च जोखिम रेटिंग की शाखाएं थीं. बैंक की किसी भी शाखा को अधिक उच्च जोखिम अथवा अत्यधिक उच्च जोखिम के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया गया है.

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2015 को बैंक के नेटवर्क में कुल 4689 शाखाएं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखायें, 4835 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल है. देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्र शासित प्रदेशों, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है.

ग्राहक शिकायतें

बैंक ने आन्तरिक शिकायत निवारण प्रणाली के भाग स्वरूप एक नया यूजर फ्रेंडली शिकायत पोर्टल की शुरुआत की है. ग्राहक द्वारा बैंक स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कोई सहनशीलता न रखने के लिए बैंक ने दुर्व्यवहार की घटनाओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु अन्य पीएसबी के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों के पैनल का गठन किया है.

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

बैंक ने वर्ष के दौरान, अपने उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इन गतिविधियों से बैंक के लिए नया व्यवसाय हासिल करने हेतु कॉर्पोरेट ब्रेंडिंग कार्यवाही के अंतर्गत अपने सतत प्रयास जारी रखे हैं. इसमें किफायती लागत पर विज्ञापन एवं फील्ड स्टाफ के सक्रिय नियोजन/ सहभागिता पर जोर दिया गया है.

सतर्कता

वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान, सतर्कता मामलों के साथ ही शिकायतों का निपटान अत्यधिक शीघ्रता से किया गया. वर्ष के दौरान सतर्कता मामलों एवं शिकायतों के निपटान में 30% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई हैं.

मानव संसाधन विकास

मार्च 2015 की समाप्ति पर, बैंक में कर्मचारियों की संख्या 39,039 थी, जबकि गत वर्ष यह संख्या 40,661 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार विघटन निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च 2015	मार्च 2014
अधिकारी	16,247	16,180
लिपिक	14,098	15,424
अधीनस्थ कर्मचारी	8,694	9,057
कुल योग	39,039	40,661



सहायक एवं संयुक्त उद्यम

i. सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- 🔷 लाभ में सतत वृद्धि के कारण स्वामित्व निधि मार्च 2014 के ₹ 82.82 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2015 को ₹ 88.19 करोड़ हो गई है.
- वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2014 के ₹ 487.60 करोड़ से बढ़कर, 71.60% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 को ₹ 803.53 करोड़ हो गया है. आवास ऋण, मार्च 2014 के ₹ 356.03 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2015 को ₹ 610.95 करोड़ हो गए, इसमें 64.60% की वृद्धि दर्ज हुई है. गैर-आवास ऋण ₹ 112.49 करोड़ से बढ़कर ₹ 131.38 करोड़ हो गए, इसमें 16.79% की वृद्धि दर्ज हुई.

ii. सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड

- ♦ सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यत: न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी डिबेंचर न्यास एवं मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी में पंजीकृत है; जब कि कंपनी ने मुच्युअल फंड एडवाइजर गतिविधि को बन्द कर दिया है.

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इिकटी है, जबिक शेष 40% इिकटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- ♦ कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान, इंडो जाम्बिया बैंक ने अपने सभी हितधारकों को बोनस शेयर जारी किए हैं तदनुसार, हमारे बैंक ने क्वाचा प्रति शेयर के 1,21,24,763 शेयर प्राप्त किए है.
- कै कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान, भारिबैं, केन्द्र सरकार एवं हमारे बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात हमारे बैंक ने पूँजी में हमारी हिस्सेदारी काचा 40.60 मिलियन उसमें अंतर्वाह किए हैं.
- ♦ दिसम्बर 2014 के अंत तक हमारे बैंक के पास 1 क्वाचा प्रति शेयर के कुल 8,32,00,000 शेयर हैं, जिनका भारतीय मुद्रा में मूल्य ₹ 81.08 करोड़ है.
- ♦ दिनांक 31 मार्च, 2015 को शेयरों की भारतीय मुद्रा में कीमत ₹ 85.08 करोड़ है.

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 💠 दिनांक 31 मार्च, 2015 को हमारी 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1622 शाखाओं का नेटवर्क है.
- प्रायोजक बैंक होने के नाते हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी का 35% अर्थात ₹ 277.11 करोड़ निवेश किए हैं. इसके अलावा हमने इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शाश्वत बाँण्ड के रूप में ₹ 69.35 करोड़ निवेश किए हैं.

पुरस्कार एवं प्रशंसा

- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गृह-पित्रका 'सेन्ट्रलाइट' को भाषिक क्षेत्र 'ख' में वर्ष 2013-14 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की "गृह पित्रका पुरस्कार योजना" के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. राष्ट्रपित भवन ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि ने यह पुरस्कार महामिहम राष्ट्रपित श्री प्रणब मुखर्जी के कर-कमलों से प्राप्त किया.
- ♦ वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2012-13 के लिए भाषिक क्षेत्र 'क' एवं 'ग' के लिए हमारे बैंक को "भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड" से सम्मानित किया गया. ये दोनों पुरस्कार, हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन से प्राप्त किए.

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



- ♦ तीन राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु इन राज्यों की राज्यस्तरीय बैंकर्स सिमिति द्वारा हमारे बैंक को "प्रथम" पुरस्कार प्रदान किया गया.
- ♦ नई दिल्ली में आयोजित सीआईएमएसएमई-एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड-2014 में बैंक ने निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्राप्त किए 1) बड़े बैंकों की श्रेणी में "बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड" में रनर अप, 2) बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर फाइनेंशियल इनक्लूजन एवं 3) प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत "स्पेशल प्लाक फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस".
- ♦ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एण्ड सर्विसेज द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में पीएमजेडीवाय एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.
- बैंक के इिकटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, िकन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उछुंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.
- ♦ इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए 'सीजीआर3+' (उदघोषित सीजीआर 3 प्लस) रेटिंग प्रदान की है. इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि रेटिंग प्रदत्त कंपनी ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को स्वीकार करते हुए अपनाया है, जिससे वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता पर अपने वित्तीय स्टेकधारकों को आश्वासन का उच्च स्तर प्रदान कर सके.

निदेशक मंडल

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है.
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.



समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2014-15 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2015 को बैंक के धारित इक्विटि शेयरकी संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2015 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2014 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	सदस्य एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर,	अध्यक्ष एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईएफ आरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर,	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि.	जी हाँ
2	श्री आर.के.गोयल.	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, अगरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर,	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
3	श्री अनिमेष चौहान		05.08.2013 से 31.12.2014	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, अगरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर,	निरंक	-सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि.	जी हाँ



	<u> </u>			<u> </u>	6.7	<u> </u>		C .	
क्र.	नाम	धारित पद	अवधि	दिनांक	विशेषज्ञता		2015 को सेन्ट्रल		क्या दि. 30
			(से-तक)	31.03.2015	का क्षेत्र	बैंक ऑफ इंडिय		31.03.2015	जून, 2014
				को बैंक के		की सदस्यता/ः	अध्यक्षता की	को अन्य कंपनी	को अंतिम
				धारित इक्विटि				की निदेशकता	एजीएम की
				शेयरकी					बैठक में
				संख्या					उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
4	श्री बी.के. दिवाकर.	कार्यपालक	23.01.2014	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी,	निरंक	- सेन्ट बैंक होम	जी हाँ
		निदेशक	से			एसीबी,		फाइनैंस लि.	
						आरएमसी,		- सेन्ट बैंक	
						एलवीएफसी		फाइनेंशियल	
						सीएससी,		सर्विसेज लि.	
						आईटीएस,			
						एसआरसी,			
						आईएफआरएस,			
						सीएसी,			
						एचआर,			
						एमआरसी,			
5	डॉ. आर.सी. लोढा	कार्यपालक	11.03.2015	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी,	निरंक	निरंक	एजीएम की
		निदेशक	से			एसीबी,			तारीख को
						आरएमसी,			निदेशक नहीं
						एलवीएफसी			
						सीएससी,			
						आईटीएस,			
						एसआरसी,			
						आईएफआरएस,			
						सीएसी,			
						एचआर,			
						एमआरसी,			
6	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत	19.02.2014	निरंक	प्रशासन	एसीबी,	आरसी	दिल्ली- मुंबई	जी नहीं
		सरकार	से			आरएमसी,		इंडस्ट्रियल कॉरिडोर	
		द्वारा नामित				एलवीएफसी		ट्रस्टर	
		निदेशक				आरसी,			
						वीआईजी,			
						एमआरसी,			
						एचआर			
7	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा	13.03.2014	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी,	निरंक	निरंक	जी नहीं
		नामित	से			एसीबी,			
		निदेशक				आरसी,			
						वीआईजी			
8	प्रो. एन. बालकृष्णन	शेयरधारक	20.11.2008	160	सूचना	आरएमसी,	आईटीएस,	।) सी-डॉट अल्का	जी हाँ
		निदेशक	से 9.11.2011		प्रोद्योगिकी	सीएससी,	एसआरसी	टेल रिसर्च सेन्टर	
			एवं			आईटीएस,		प्रा.लि.	
			10.01.2012			एसआरसी		॥) डाटा सिक्यू	
			से 9.01.2015					रिटी कौंन्सिल	
								ऑफ इंडिया	



क्र.	नाम	धारित पद	अवधि	दिनांक	विशेषज्ञता	d iia 21 02		faria	क्या दि. 30
gn.	नाम	वारित पद	अवाय (से-तक)	31.03.2015		बैंक ऑफ इंडिय		31.03.2015	·
			(લ–તજ)		ବରାଖ୍ୟ	,			जून, 2014
				को बैंक के		की सदस्यता/	अध्यक्षता का	को अन्य कंपनी	को अंतिम
				धारित इक्विटि				की निदेशकता	एजीएम की
				शेयरकी					बैठक में
				संख्या			1		उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
9	श्री गुमान सिंह	अंशकालीन	08.08.2011	निरंक	सेवानिवृत्त	एमसीबी,	निरंक	निरंक	जी हाँ
		गैर-	से		रेलवे	एसीबी,			
		सरकारी	07.08.2014		अधिकारी	सीएससी,			
		निदेशक				आईएफआरएस			
10	श्री एम.पी. शोरावाला	अंशकालीन	03.01.2013	निरंक	वकील	एमसीबी,	निरंक	विश्व लक्ष्मी	जी नहीं
		गैर-	से			आरएमसी,		एक्सवपोर्टस (प्रा.)	
		सरकारी				आईटीएस,		लि.	
		निदेशक				आईएफआरएस,			
						एचआर			
11	श्री कृष्ण सेठी	अंशकालीन	28.02.2013	निरंक	व्यावसायिक	एसीबी,	एसीबी	निरंक	जी हाँ
		गैर-	से			आरएमसी,			
		सरकारी				एलवीएफसी			
		निदेशक				आईएफआरएस,			
12	श्री एस.बी.रोडे	अधिकारी	02.04.2013	133	बैंकर	एमसी,	निरंक	निरंक	जी हाँ
-	, ,	कर्मचारी	से	133		एलवीएफसी			(
		निदेशक -	VI			सीएससी,			
		114214				एसआरसी			
13	श्री गुरबख्श कुमार	कर्मकार	10.07.2013		बैंकर वैंकर	एमसीबी,	- निरंक	निरंक	जी हाँ
	जोशी		से			सीएससी,			" ("
	Silvii	निदेशक -	VI .			आईटीएस,			
		। । पुराना				एसआरसी			
14	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन	19 12 2013	- निरंक	समाज सेवा	एसीबी,	निरंक	निरंक	जी हाँ
1 -	N. 101 / 10/10 // 18/11	गैर-सरकारी		11177	V 11-1 VI-11	आरएमसी,	117.36		-11 (4)
		निदेशक -	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			एसआरसी,			
		।गप्राफ				, ,			
						सीएससी,			
						आरसी			

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति

एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति

एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति

सीएससी - ग्राहक सेवा समिति

आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

एसआरसी - स्टोकहोल्डर सम्बंध समिति



आरसी - पारिश्रमिक समिति

आईएफआरएस - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति

वीआईजी - सतर्कता समिति

सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति एचआर - मानव संसाधन समिति एमआरसी - वसुली समिति की निगरानी

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2015 को इस समिति में 8 सदस्यो थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य निदेशक, जिनमें 1 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, 1 कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छ: माह में आवर्तन किया जाता है. वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की 17 बैठकें आयोजित की गई.

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से निदेशक मण्डल की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹ 10.00 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, ₹.15.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), ₹ 25.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), ₹ 50.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं ₹ 1.00 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) एवं प्रभारी महाप्रबंधक (ऋण), प्रभारी महाप्रबंधक (वित्त), प्रभारी महाप्रबंधक (परिसर) एवं प्रभारी महाप्रबंधक (वस्तूली) शामिल हैं.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा सिमिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्दे श देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्वित तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सिहत बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. बोर्ड की लेखा परीक्षा सिमित में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा सिमित की 12 बैठकें आयोजित हुईं.

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है. वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई.

पारिश्रमिक समिति

पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-। दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल है. वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 20.05.2014 को किया गया.



निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 10,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 5,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता है, जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	रु. लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि	25.59
	(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	
2.	श्री राज कुमार गोयल	24.28
	(कार्यपालक निदेशक)	
3.	श्री अनिमेष चौहान	17.91
	(कार्यपालक निदेशक)	
4.	श्री बी. के. दिवाकर	17.47
	(कार्यपालक निदेशक)	
5.	श्री आर. सी. लोढ़ा	0.91
	(कार्यपालक निदेशक)	

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 5,90,000/- (रुपये पांच लाख नब्बे हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

शेयरधारकों की संबंध समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति (पूर्व में यह शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति के नाम से जानी जाती थी) का गठन शेयर्स के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इस समिति के अध्यक्ष बैंक के निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक प्रो. एन.बालकृष्णन उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 09.01.2015 तक रहे और उनके पश्चात श्री कृष्ण सेठी वर्तमान में अध्यक्ष हैं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों को आवर्तन प्रत्येक वर्ष के पश्चात किया जाता है. वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं.

वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र	06
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	106
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट	27
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	निरंक
6	धनवापसी लिखत में सुधार	28
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	2
8	प्राप्त कुल शिकायतें	169
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	169
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक



हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 1 अगस्त, 2014 एवं 1 जनवरी, 2015 को दो क्रम में अधिमान आधार पर क्रमशः 7,10,75,753 एवं 8,28,90,000 शेयर्स का आबंटन करते हुए, ₹1207.84 करोड़ (प्रीमियम सिंहत) की राशि जुटाई है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 1617.00 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10.00 अंकित मूल्य के 161,70,00,000 पीएनसीपीएस) के संपूर्ण स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर्स (पीएनसीपीएस) का संपरिवर्तन करते हुए, भारत सरकार को 15,38,68,113 इकिटी शेयर्स भी जारी किए हैं. इन निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-। एवं टियर-॥ पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घाविध संसाधनों में अभिवृद्धि करना है. जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है.

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 8वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : सोमवार, दिनांक 30 जून, 2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

- 1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित है.
- 2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2015 से 30 जून, 2015 (दोनों दिवस सहित)
- 3. लाभांश भुगतान तारीख : दिनांक 30 जुलाई, 2015 को अथवा उससे पूर्व

साधारण बैठक :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वान्ह 11.00	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण
		बजे	महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी
			कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले
			(पश्चिम), मुंबई-400056
2.	छठी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जून, 2013, पूर्वान्ह 11.00	तदैव
		बजे	
3.	पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 27 जून, 2012, सायं 4.00 बजे	तदैव
4.	चौथी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जुलाई, 2011, दोपहर 3.00	तदैव
		बजे	



स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण:

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRLBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A1010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-॥ पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-॥ पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य	आईएसआईएन
		(रु.करोड़ में)	
लोअर टियर॥- सीरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई48309146
लोअर टियर II- सीरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई48309153
लोअर टियर॥- सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई48309161
लोअर टियर II- सीरीजXIII	10.02.2009	270.00	आईएनई48309187
लोअर टियर॥- सीरीजXIV	21.12.2011	500.00	आईएनई48309245
अपर टियर ॥- सीरीज।	14.11.2008	300.00	आईएनई48309179
अपर टियर ॥- सीरीज॥	17.02.2009	285.00	आईएनई48309195
अपर टियर ॥- सीरीज॥।	23.06.2009	500.00	आईएनई48309203
अपर टियर ॥- सीरीजIV	20.01.2010	500.00	आईएनई48309211
अपर टियर II- सीरीजV	11.06.2010	1000.00	आईएनई48309229
अपर टियर II- सीरीजVI	21.01.2011	300.00	आईएनई48308015
बासल ॥ अनुपालित क्र.।	08.11.2013	1000.00	आईएनई48309260
कुल		6522.30	

ये सभी बॉण्ड नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

		एनएसई		
माह अधिकतम मूल्य (रु.) न्यूनतम मूल्य (रु.) अ		अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	
अप्रैल, 2014	57.20	48.30	57.20	48.30
मई, 2014	85.60	52.00	85.60	51.90
जून, 2014	89.00	72.80	88.85	72.80
जुलाई, 2014	81.45	66.30	81.35	66.50
अगस्त, 2014	71.95	61.90	72.00	62.00
सितम्बर, 2014	68.80	60.00	68.90	60.00
अक्तूबर, 2014	67.45	58.15	67.40	58.05
नवम्बर, 2014	78.50	67.20	78.55	67.20



दिसम्बर, 2014	92.65	65.95	92.50	66.60
जनवरी, 2015	106.00	91.35	105.90	91.35
फरवरी, 2015	120.60	100.70	121.00	100.35
मार्च, 2015	109.50	101.20	109.60	101.25

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रिजस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)

मुंबई-400 078

टेली.: 022-25946970 फैक्स: 022-25946969

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी

नरीमन पॉइंट

मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818 फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की	संख्या	शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	1350827438	0	1	0	1350827438	81.46
क्लियरिंग मेम्बर	1785002	0	276	0	1785002	0.11
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	27013244	90	938	1	27013334	1.63
कॉर्पोरेट निदेशकगण	133	0	1	0	133	0.00
वित्तीय संस्थाएं	222440769	0	1	0	222440769	13.41
विदेशी निवेशक संस्थाएं	5525146	0	33	0	5525146	0.33
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	102322	0	2	0	102322	0.01
म्युच्युअल फंड	74973	0	2	0	74973	0.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	246382	0	5	0	246382	0.01



गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	452450	0	3	0	452450	0.03
अनिवासी भारतीय	646221	121600	818	1	767821	0.05
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	171476	0	271	0	171476	0.01
सार्वजनिक	42312575	15146	156378	119	42327721	2.55
ट्रस्ट	121948	0	19	0	121948	0.01
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6334239	0	5	0	6334239	0.38
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	81327	0	2	0	81327	0.01
कुल	1658136345	136836	158756	121	1658273181	100.00
1 1 010 1						

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है. दिनांक 31.03.2015 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	121	136836	0.01
एनएसडीएल	102158	282152028	17.01
सीडीएसएल*	56598	1375984317	82.98
कुल	158877	1658273181	100.00

^{*}केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1350827438 (81.46%) सहित.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2015 को अदावाकृत उचंत खाता में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की	समग्र बकाया
		समग्र संख्या	शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	262	34,725
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के	7	426
	लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.		
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	7	426
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	255	34,299

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.



अनुलग्नक ।

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं विरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

(राजीव ऋषि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विरूद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत लंबित नहीं है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर. के अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. रे) भागीदार सदस्यता सं. 012940

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी) भागीदार सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी. एन. मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं. 083927 कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू

> (सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं. 049289



कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशियेट्स	पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	दूगड़ एण्ड एसोशियेट्स
बी-12 (भूतल)	11-5-23, कार्तिक कॉम्पलेक्स	13, कम्युनिटी सेंटर,
कालिन्दी कॉलोनी,	विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्ठवारपेठ	ईस्ट ऑफ कैलाश
महारानी बाग के पास,	रायचूर - 584 101,	नई दिल्ली - 110 065
नई दिल्ली - 110 065	कर्नाटक.	
एन सरकार एण्ड कं.	बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.	चंदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट	एस-29, मैत्री विहार, फेज-॥	208 फीनिक्स हाउस, ए विंग,
द्वितीय तल	सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने	462 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल
कोलकाता - 700 072	भुवनेश्वर - 751 023	मुम्बई - 400013
पश्चिम बंगाल	ओडीसा	महाराष्ट्र

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति.

भारत के महामहिम राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2015 की संलग्न वित्तीय विवरणियों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सिन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणियों में 4689 शाखाओं एवं कुल 80 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 37 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1819 शाखाओं की विवरणियां समाहित है. इसके अलावा तुलन पत्र में उन 2850 शाखाओं, 43 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.97%, जमाओं की 30.75%, ब्याज आय की 6.69% तथा ब्याज व्यय की 24.37% हिस्सेदारी है. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है.

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित करने के लिए तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है. इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सिन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्त्वपूर्ण अपकथन से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- 3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके.
- 4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का



आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

- 6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्प्णियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.
 - (ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखों में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है, एवं
 - (iii) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- 7. तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमश: फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में तैयार किये गए हैं.
- 8. उपयुक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.
 - (बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं.
 - (सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.



9. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)

भागीदार सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. रे) भागीदार सदस्यता सं. 012940

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)

भागीदार .

सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी.एन. मिश्रा)

भागीदार

सदस्यता सं. 083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)

भागीदार

सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)

भागीदार

सदस्यता सं. 049289



संक्षिप्त वित्तीय विवरणी पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मे. कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशियेट्स	मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	मे. दूगड़ एण्ड एसोशियेट्स
बी-12 (भूतल)	11-5-23, कार्तिक कॉम्पलेक्स	13, कम्युनिटी सेंटर,
कालिन्दी कॉलोनी,	विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्ठवारपेठ	ईस्ट ऑफ कैलाश
महारानी बाग के पास	रायचूर - 584 101,	नई दिल्ली 110 065
नई दिल्ली 110 065	कर्नाटक.	
मे. एन.सरकार एण्ड कं.	मे. बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.	मे. चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट	एस-29, मैत्री विहार, फेज-॥	208 फीनिक्स हाउस, ए विंग,
द्वितीय तल	सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने	462 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल
कोलकाता 700 072	भुवनेश्वर - 751 023	मुम्बई - 400013
पश्चिम बंगाल	ओडीसा	महाराष्ट्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('दि बैंक') के दिनांक 31 मार्च, 2015 के संलग्न संक्षिप्त तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण तथा उन पर टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां के नाम से संदर्भित किया गया है) की जांच की है.

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई हैं और हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 12 मई, 2015 में कवर की गई है.

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स	कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. ०००१३१एन	एफ.आर.नं004135एस	एफ.आर.नं. 000561एन
(सीए आर.के. अग्रवाल)	(सीए श्रीगोपाल इन्नानी)	(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सद्स्यता सं. 081510	सद्स्यता सं. 210087	सदस्यता सं. 081810
कृते एन. सरकार एण्ड कं.	कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.	कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई	एफ.आर.नं. 321095ई	एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू
(सीए एम. रे)	(सीए बी.एन. मिश्रा)	(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 012940	सदस्यता सं. 083927	सदस्यता सं. 049289

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च, 2014 को (गत वर्ष)
	(पत्तमान प्रम)	(गत प्रम)
पूंजी	165,827.32	296,743.93
प्रारक्षित निधियाँ एवं आधिक्य		
सांविधिक प्रारक्षित निधिया	206,359.79	191,198.79
पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (नोट 1)	235,509.86	232,722.89
शेयर प्रीमियम	995,540.23	743,838.93
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	234,731.30	234,731.30
आयकर अधिनियम के 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	10,000.00	10,000.00
लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(102,277.26)	(130,380.08)
कुल	1,579,863.91	1,282,111.83
जमाराशियां		
मांग जमाराशियां	1,320,243.00	1,353,698.53
बचत बैंक जमाराशियां	7,380,988.98	6,647,374.61
सावधि जमाराशियां	16,856,007.51	16,005,825.73
कुल	25,557,239.49	24,006,898.87
उधार राशियां		
3 वार साशवा 1. भारत में उधार राशियां		
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक	1,420,712.41	633,898.35
(बी) अन्य बैंक	1,720,712.71	319.04
(सी) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	376,795.94	426,740.21
(डी) अनरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	243,730.00	263,730.00
(ई) अपर टियर ॥ बॉन्ड्स	288,500.00	288,500.00
(एफ) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	108,300.00	108,300.00
(जी) अनरक्षित पुनर्मोचनीय एनसी बासल ॥ बॉण्ड्स	100,000.00	100,000.00
2. भारत के बाहर उधार राशियां	59,375.00	386,490.00
कुल (1 एवं 2)	2,597,413.35	2,207,977.60
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
भुगतानयोग्य बिल	86,827.60	76,552.24
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	55,627.05	, 5,552.2.
उपचित ब्याज	155,192.33	166,092.09
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	_	65,793.78
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	11,001.00	59,660.00
अन्य	1,040,684.88	787,792.10
कुल	1,293,705.81	1,155,890.21
कुल पूंजी एवं देयताएं	31,194,049.88	28,949,622.44



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)	
विवरण	31 मार्च, 2015 को 31 मार्च, 2014 को		
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)	
अस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1,411,484.87	1,192,662.93	
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि			
भारत के बैंकों में पास शेष राशि	30,449.94	26,045.09	
भारत में मांग व अल्प सूचना पर राशि	20,000.00	-	
भारत के बाहर शेष राशियां	19,093.49	19,095.28	
कुल	69,543.43	45,140.37	
निवेश			
1. भारत में			
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	7,541,014.88	6,789,112.10	
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	
(सी) शेयर्स	128,344.62	140,055.81	
(डी) डिबेंचर एवं बांड्स	1,004,543.77	981,904.67	
(ई) अनुषंगियों एवं / अथवा संयुक्त उद्यम	30,399.87	30,399.87	
(एफ) अन्य	838,339.84	671,975.60	
2. भारत के बाहर	4,748.85	65.94	
कुल (1 एवं 2)	9,547,391.83	8,613,513.99	
अग्रिम			
1. भारत में			
(ए) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	209,532.33	223,493.15	
(बी) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	7,284,969.13	6,667,215.79	
(सी) मीयादी ऋण	11,353,251.79	10,840,808.23	
2. भारत के बाहर	-	-	
कुल (1 एवं 2)	18,847,753.25	17,731,517.17	
अचल आस्तियां	283,316.15	280,438.93	
अन्य आस्तियां			
अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	353,964.76	308,897.55	
उपचित ब्याज	183,977.19	175,750.83	
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर	303,929.28	284,997.10	
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	-	-	
दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-	
स्टेशनरी एवं स्टाम्प	1,862.36	1,779.97	
अन्य	190,826.76	314,923.60	
कुल	1,034,560.35	1,086,349.05	
कुल आस्तियां	31,194,049.88	28,949,622.44	



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को 3	1 मार्च, 2014 को
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरूद्व दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.	10,942.50	11,963.46
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	181,340.88	140,058.95
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	6,677,461.78	6,406,023.89
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	1,150,783.62	1,090,367.93
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	991,238.33	1,123,326.17
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	77,500.00	83,511.07
कुल	9,089.267.11	8,855,251.47
संग्रहण हेतु बिल	110,608,049.00	767,173.57

नोट $1: \tau$. 181416.00 (गत वर्ष τ . 184012.04) के पूनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि सहित



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
आय	•	•
अर्जित ब्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	1,951,728.25	1,861,999.27
निवेशों पर	670,705.68	576,385.23
भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	3,146.08	3,283.88
अन्य	15,297.93	1,086.59
कुल	2,640,877.94	2,442,754.97
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	87,725.69	82,167.12
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	61,765.83	45,536.69
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से शुद्ध लाभ	(64.30)	(119.30)
विनमय लेन देनों पर शुद्ध लाभ	20,202.68	19,872.37
भारत/विदेश में अनुषंगी कंपनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि के द्वारा आय	341.50	278.50
विविध आय	19,451.75	44,522.67
कुल	189,423.15	192,258.05
कुल आय	2,830,301.09	2,635,013.02
<u>व्यय</u>		
प्रदत्त ब्याज		
जमाराशियों पर	1,752,030.52	1,637,456.53
भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर	34,784.63	38,088.35
अन्य	129,355.90	117,771.58
कुल	1,916,171.05	1,793,316.46
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	382,493.98	353,700.97
किराया, कर एवं बिजली	36,790.08	33,356.13
मुद्रण एवं लेखनसामग्री	5,012.51	4,718.32
विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	2,544.25	2,654.35
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	22,924.21	20,854.74
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चें	73.58	89.81
लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,243.76	1,734.54
विधि प्रभार	1,948.71	1,848.23
डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	6,516.28	5,285.37
मरम्मत एवं रखरखाव	7,438.99	5,876.88
बीमा	24,455.02	19,612.64
अन्य	65,776.55	68,161.56
कुल	558,217.92	517,893.54



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष) (1,855.77) 206,214.98 3,901.84	समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष) 25,655.74
(वर्तमान वर्ष) (1,855.77) 206,214.98 3,901.84) (गत वर्ष)) 25,655.74
(1,855.77) 206,214.98 3,901.84	25,655.74
206,214.98 3,901.84	
206,214.98 3,901.84	
3,901.84	220 201 15
	349,401.13
	(734.36)
58,621.65	69,143.02
266,882.70	423,265.55
2,741,271.67	2,734,475.55
89,029.42	(99,462.53)
-	
28,384.60	26,821.66
60,644.82	(126,284.19)
(130,380.08)	157.79
(69,735.26)	(126,126.40)
15,161.00) –
_	-
-	-
8,291.00) –
200.00) –
1,688.00) –
28,102.82	(130,380.08)
के. गोयल)	(राजीव ऋषि)
लक निदेशक अध	यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ो. शोरावाला व	कृष्ण सेठी
	नृत्या (101 निदेशक
-।प्राण	। । प्राचा
कुमार जोशी	
	5,383.00 1,819.00 - - 8,291.00 200.00 1,688.00 28,102.82 के. गोयल) गलक निदेशक अध



कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर. के अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई

> **(सीए एम. रे)** भागीदार सदस्यता सं. 012940

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए श्रीगोपाल इन्नानी) भागीदार सदस्यता सं. 210087

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी. एन. मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं. 083927 कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार

एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं. 049289



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. तैयार करने का आधार:

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां हैं (इसके बाद इन्हें 'वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियां' के नाम से संदर्भित किया गया है) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116.2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं.

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

बैंक की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 'वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियां' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं.

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां:

लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं. तथापि, जहां लेखांकन नीतियों में परिवर्तन है अथवा जहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अतिरिक्त सूचनाएं अथवा ध्यान आकर्षित करती हों, वहां कोई टिप्पणी एवं प्रकटीकरण नहीं है.

(आर.सी. लोढ़ा)	(बी.के. दिवाकर)	(आर.के.गोयल)	(राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सौरभ गर्ग	शेखर भटनागर	एम.पी.शोरावाला	कृष्ण सेठी
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	एस.बी. रोडे	गुरबख्श कुमार जोशी	
निदेशक	निदेशक	निदेशक	

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

			(रुपये करोड में)
क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2015	31- 03- 2014
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	890.40	(994.55)
I	के समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	229.24	208.55
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(18.56)	256.56
	गैर निष्पादन आस्तियों के मामलों में अशोध्य कर्ज अपलिखित कर्ज	2,062.15	3,292.01
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	586.95	689.57
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	38.18	(5.57)
	आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	-	(10.87)
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	0.64	1.19
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक से किया गया)	696.03	642.26
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(3.42)	(2.79)
	जेएनवाई कूपन पर ब्याज	_	5.17
	उप–योग	4,481.61	4,081.53
II	के समायोजन हेतु :		<u> </u>
	जमा में वृद्धि/(कमी)	15,503.40	14,030.67
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	3,894.35	3,774.26
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,744.77	3,285.57
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(13,811.46)	(9,360.91)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(9,273.39)	(13,777.91)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	669.03	(3,355.52)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(959.85)	(700.54)
	उप-योग	(2,233.15)	(6,104.37)
•	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	2,248.46	(2,022.84)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	815.15	49.45
	अचल आस्तियों की खरीद	(1,099.77)	(405.01)
	सहयोगी/अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	3.42	2.79
	सहयोगी/अनुषंगियों में निवेश	(46.83)	(10.00)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(328.03)	(362.77)
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी	1,207.85	1,799.99
	गौण ऋण की प्राप्तियां /पुन: प्राप्ति टियर ॥ पूंजी	-	-
	अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स लाभांश	-	(411.64)
	लाभांश कर	-	(69.49)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	-	(5.17)
	गौण कर्ज पर ब्याज	(696.03)	(642.26)



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

		(रुपये करोड में)
क्र.सं. विवरण	31- 03- 2015	31- 03- 2014
डी नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृध्दि	2,432.25	(1,714.17)
ई वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
नकद एवं भारिबै में शेष	11,926.63	13,560.17
बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	451.40	532.04
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद तुल्य	12,378.03	14,092.21
एफ वर्ष की समाप्ति में नकद एवं नकद समकक्ष		
नकद एवं भारिबै में शेष	14,114.85	11,926.63
बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	695.43	451.40
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,810.28	12,378.03

(आर.सी. लोढ़ा) कार्यपालक निदेशक	(बी.के. दिवाकर) कार्यपालक निदेशक	(आर. के. गोयल) कार्यपालक निदेशक	(राजीव ऋषि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्	स कृते पी.के. सुब्र	मणियम एण्ड कं.	कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी र	लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन	एफ.आर.नं.	-004135एस	एफ.आर.नं. ०००५६१एन
(सीए आर. के अग्रवाल) भागीदार	, ,	पाल इन्नानी) गिदार	(सीए मुकेश गोयल) भागीदार
सदस्यता सं. 081510		i. 210087	सदस्यता सं. 081810
कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार	सनदी र	मिश्रा एण्ड कं. नेखाकार	कृते चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई	एफ.आर.न	. 321095ई	एफ.एन.नं. 101647 डब्ल्यू
(सीए एम. रे)	(सीए बी.	एन. मिश्रा)	(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार	भाग	ीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 012940	सदस्यता स	i. 083927	सदस्यता सं. 049289

स्थान : मुम्बई

दिनांक: 12 मई, 2015



कुमार चोपडा एण्ड एसोशिएट्स	पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
बी-12, भूतल	11-5-23, कार्तिक कॉम्पलेक्स	13, कम्युनिटी सेंटर,
कालिन्दी कॉलोनी	विजया बैंक के ऊपर ब्रेस्ठवार्र्पेट	ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली - 110 065	रायचूर -584 101 कर्णाटक	नई दिल्ली - 110 065
एन.सरकार एण्ड कं.	बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.	चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट	एस-29, मैत्री विहार, फेस ॥	208, फीनिक्स हाउस, ए विंग,
द्वितीय तल	सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने	462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
कोलकाता 700 072	भुवनेश्वर - 751 023	मुम्बई 400013
पश्चिम बंगाल	ओडिसा	महाराष्ट्र

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल :

- 1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (द बैंक), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें समूह के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणियों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि खाता एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है:
 - (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (द बैंक) के लेखापरीक्षित लेखे.
 - (ii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों, एवं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो सभी अन्य लेखाकारों द्वारा लेखांकित हए है.
 - (iii) नौ माह की अवधि के लिए एसोशिएट्स का अन्य लेखाकार द्वारा लेखांकित तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त एसोशिएट्स का अलेखांकित लेखे.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं तथा जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सिन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- 3.1 हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समृचित आश्वासन विदित हो सके.
- 3.2 एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.



3.3 हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

अभिमत

- 4. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं:
 - (i) समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2015 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
 - (ii) समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ: एवं
 - (iii) समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

- 5. लेखांकन (एसए) 706 के मानक पर मानक के अनुसार ''विषयवस्तु पैराग्राफ पर हमारी राय'' को परिवर्तित किए बिना, हम निम्नानुसार ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - (i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. ने वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के परिपत्र सं. एनएचबी (एन डी)/ सीआरएस/नीति परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त, 2014 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(ख)(VIII) के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों द्वारा रखे जा रही विशेष आरक्षित निधियों पर रु. 3 करोड़ की आस्थिगित कर देयता सुजित की है.
 - (ii) सेन्ट बैंक होम फाइनैंस के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कंपनी की चालू देयताएं उसकी चालू पिरसंपत्तियों से अधिक हो गई है. इस असंतुलन पर प्रबंधतंत्र द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है.
 - (iii) समेकित वित्तीय विवरणियों, जिनमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी) के रु. 3.24 करोड़ लाभ की हिस्सेदारी शामिल है. लेखापरीक्षक ने एनपीए संचलन ज्ञात करने, आयकर, टीडीएस, सेवाकर तथा अंतर कार्यालय की बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के संबंध में प्रावधान इत्यादि पर ध्यान देने के लिए पुन: आगाह किया है, जिसका सीएमपीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़ा प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका है.
 - (iv) इसी प्रकार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (यूबीजीबी) की समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल रु. 35.46 करोड़ की हिस्सेदारी के मामले में लेखापरीक्षक के आयकर के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके यूबीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़े प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है.

6. अन्य मामले

हमने अग्रलिखित वित्तीय विवरिणयों की लेखा परीक्षा नहीं की है (i) दो अनुषंगियां, जिनकी वित्तीय विवरिणयों में 31 मार्च, 2015 को कुल आस्तियां रु.896.53 करोड़ तथा कुल राजस्व रु.88.98 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकद प्रवाह रु.23.22 करोड़ दर्शाया गया है; तथा (ii) एसोशिएट्स (3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 1 अन्य एसोशिएट), जिनका उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु.173.76 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु. 52.06 करोड़) दर्शाया गया है. ये वित्तीय विवरिणयां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णत: आधारित है. इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

कृते कुमार चोपडा एण्ड एसोशिएट्स	कृते
सनदी लेखाकार	
एफ. आर. सं.000131एन	

(सीए आर.के. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.081510 कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआर सं.004135एस

> (सीए वीराबासना गौड़ा) भागीदार सदस्यता सं.0208698

कृते दूगड एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन

(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं.081810



कृते एन.सरकार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय) भागीदार सदस्यता सं.010534

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015

कृते बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं.083927 कृते चंदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्लू

(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289



संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कुमार चोपडा एण्ड एसोशिएट्स	पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
बी-12, भूतल	11-5-23, कार्तिक कॉम्पलेक्स	13, कम्युनिटी सेंटर,
कालिन्दी कॉलोनी	विजया बैंक के ऊपर ब्रेस्ठवार्र्पेट	ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली - 110 065	रायचूर -584 101 कर्णाटक	नई दिल्ली - 110 065
एन.सरकार एण्ड कं.	बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.	चंदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट	एस-29, मैत्री विहार, फेस ॥	208, फीनिक्स हाउस, ए विंग,
द्वितीय तल	सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने	462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
कोलकाता 700 072	भुवनेश्वर - 751 023	मुम्बई 400013
पश्चिम बंगाल	ओडिसा	महाराष्ट्र

प्रति.

सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशकगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं इसकी अनुषंगियों एवं सहयोगियों (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में माना गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2015 का संक्षिप्त समेकित तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा उनके संलग्न टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां के नाम से सम्बोधित किया गया है) की जांच की गई. बैंक द्वारा ये संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 'समूह' की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्ट्ड अकाउंटेट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 'समेकित वित्तीय विवरणियां' एवं लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएटस में निवेशों का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक द्वारा तैयार किए गए हैं और दिनांक 25 मई, 2015 को बैंक के निदेशक मण्डल को प्रस्तृत हमारी रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है.

_		`		10
क्रत	क्रमाउ	ज्ञापरा	गार	припописы
31(1	31411	जानज़ा	6.2	एसोशिएट्स
•	_	• •		

सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय) भागीदार सदस्यता सं. 010534

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए वीराबासना गौड़ा) भागीदार

सदस्यता सं. 208698

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं. 083927 कृते दगड़ एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)

भागीदार सदस्यता सं. 081810

कृते चंदाभाय एण्ड जस्सूभाय

सनदी लेखाकार एफ.एन.नं. 101647डब्ल्य

(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार

सदस्यता सं. 049289



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं		· ·
पूंजी	165,827.32	296,743.93
प्रारक्षित निधियां एवं आधिक्य राशि		
सांविधिक प्रारक्षित निधियां	207,491.31	192,330.31
पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (नोट 1)	235,509.86	232,722.90
शेयर प्रीमियम	995,540.23	743,838.93
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	231,958.83	231,865.83
आयकर अधिनियम के 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	11,067.37	10,705.17
लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(73,898.09)	(107, 187.33)
कुल	1,607,669.51	1,304,275.81
माइनॉरिटी इंटरेस्ट	3,273.08	3,081.98
जमाराशियां		
मांग जमाराशियां	1,319,234.56	1,352,775.27
बचत बैंक जमाराशियां	7,380,988.98	6,647,374.61
सावधि जमाराशियां	16,893,936.38	16,034,302.73
कुल	25,594,159.92	24,034,452.61
उधार राशियां		
1. भारत में उधार राशियां		
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक	1,420,712.41	633,898.35
(बी) अन्य बैंक	-	319.04
(सी) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	389,341.32	432,518.08
(डी) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	243,630.00	263,630.00
(ई) अपर टियर ॥ बॉन्ड्स	288,500.00	288,500.00
(एफ) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	108,300.00	108,300.00
(जी) असुरक्षित पुनर्मोचनीय एनसी बासल ॥। बॉण्ड्स (टियर ॥)	100,000.00	100,000.00
2. भारत के बाहर उधार राशियां	59,375.00	386,490.00
कुल (1 एवं 2)	2,609,858.73	2,213,655.47
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
भुगतानयोग्य बिल	86,827.60	76,552.24
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
उपचित ब्याज	155,447.30	166,100.29
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	58,713.00	66,039.66
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	11,027.16	59,667.07
अन्य	983,777.61	788,895.30
कुल	1,295,792.67	1,157,254.56
कुल पूंजी एवं देयताएं	31,276,581.23	29,009,464.36



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को	
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
अस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1,411,637.43	1,192,663.08
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		
भारत में बैंकों के पास शेष राशि	33,072.00	26,873.26
भारत में मांग व अल्प सूचना पर राशि	20,000.00	-
भारत के बाहर शेष राशियां	19,093.49	19,095.28
कुल	72,165.49	45,968.54
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	7,541,578.78	6,789,466.02
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(सी) शेयर्स	128,344.62	140,055.81
(डी) डिबेंचर एवं बांड्स	1,004,543.77	981,904.67
(ई) अनुषंगियों में निवेश	41,574.19	37,532.27
(एफ) अन्य	838,339.86	671,975.62
2. भारत के बाहर	11,154.34	5,306.04
कुल (1 एवं 2)	9,565,535.56	8,626,240.43
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	209,532.33	223,493.15
(बी)नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	7,280,354.16	6,665,875.27
(सी) मीयादी ऋण	11,416,866.18	10,886,092.41
2. भारत के बाहर	-	-
कुल 1 एवं 2	18,906,752.67	17,775,460.83
अचल आस्तियां	283,406.06	280,544.54
अन्य आस्तियां		
अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	353,964.76	308,897.55
उपचित ब्याज	184,298.06	176,005.26
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर	304,612.12	285,718.17
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	_	_
दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	_	_
स्टेशनरी एवं स्टाम्प	1,862.36	1,779.98
अन्य	191,457.76	315,297.02
कुल	1,036,195.06	1,087,697.98
समेकन पर गुडविल	888.96	888.96
कुल आस्तियां	31,276,581.23	29,009,464.36



दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरूद्व दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.	10,942.50	11,963.46
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	181,376.60	140,058.94
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	6,667,461.78	6,406,023.89
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	1,150,783.62	1,090,367.93
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	991,238.33	1,123,326.17
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	77,575.00	83,831.28
कुल	9,089.327.83	8,855,571.67
संग्रहण हेतु बिल	1,106,080.49	767,173.57

नोट 1 रु. 181416.01 (गत वर्ष रु. 184012.05) के पूनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि संहित



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
आय		
अर्जित ब्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	1,958,363.92	1,866,956.40
निवेशों पर	670,788.87	576,505.26
भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	3,146.08	3,283.88
अन्य	15,298.88	1,086.00
कुल	2,647,597.75	2,447,831.54
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	88,321.26	82,168.47
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	61,765.83	45,536.69
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से शुद्ध लाभ	(64.30)	(119.30)
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	20,202.68	19,872.37
भारत/विदेश में अनुषंगी कंपनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि के द्वारा	0.10	_
आय		
विविध आय	19,813.85	45,679.49
कुल	190,039.42	193,137.72
कुल आय	2,837,637.17	2,640,969.26
व्यय		
प्रदत्त ब्याज		
जमाराशियों पर	1,754,859.24	1,639,692.52
भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर	35,741.78	38,844.30
अन्य	129,364.35	117,771.58
कुल	1,919,965.37	1,796,308.40
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	383,061.22	354,148.61
किराया, कर एवं बिजली	36,969.91	33,580.85
मुद्रण एवं लेखनसामग्री	5,022.22	4,729.80
विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	2,554.34	2,660.24
बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	22,962.07	20,880.30
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चें	112.82	129.11
लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,250.47	1,738.45
विधि प्रभार	2,073.12	1,897.89
	6,537.78	5,296.63
डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	0,00	
	7,443.13	5,884.00
मरम्मत एवं रखरखाव		5,884.00 131.21
डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि मरम्मत एवं रखरखाव बीमा अन्य	7,443.13	5,884.00 131.21 19,612.80
मरम्मत एवं रखरखाव बीमा	7,443.13 156.34	131.21



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

				(राशि लाख में)
विवरण		31 मार्च, 2	015 को	31 मार्च, 2014 को
		समाप्त वर्ष	के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
		(वर्तमा	न वर्ष)	(गत वर्ष)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		,	,	,
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान		(1,8	355.77)	10,618.10
गैर निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान			,214.98	329,111.46
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान			,697.02	(681.84)
अन्य (आयकर छोड़कर)			,968.39	84,173.10
कुल			024.62	423,220.82
कुल व्यय एवं प्रावधान		2,746,	654.18	2,738,536.90
कर पूर्व लाभ/(हानि)		90,	982.99	(97,567.64)
चालू कर			540.83	27,647.70
अस्थगित कर		28,	,612.61	(64.13)
कर पश्चात लाभ/(हानि)		61,	829.55	(125,151.20)
जोड़े:असोशिएट्स में आय का हिस्स	रा	5,	,207.31	4,230.89
घटाएं: माइनॉरिटी इंटरेस्ट		(4	130.94)	(402.16)
घटाएं: अधिग्रहण पूर्व लाभ			-	(14.71)
समूह लाभ		66,	,605.92	(121, 337.19)
लाभ/हानि आगे ले जाया गया		(107,1	87.33)	24,136.67
घटाएं : असोशिएट्स में निवेश के उ	अंतरण के कारण आगे लाए गए र	गमेकित लाभ	-	5,261.48
में कमी				
कुल		(40,5	81.41)	(102,462.00)
विनियोजन				
निम्न को अंतरित :				
सांवधिक प्रारक्षित		15,	,161.00	-
निवेश प्रारक्षित		5,	,383.00	4,253.68
कर्मचारी कल्याण निधि		1,	,819.00	-
राजस्व प्रारक्षित			93.00	79.00
प्रस्तावित लाभांश – अधिमानी पूंजी			-	-
प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी पूंजी		8,	,291.00	-
बीमा के बदले निधि			200.00	-
लाभांश कर		1,	,776.93	79.95
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष उ	आरक्षित		362.20	312.70
एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष	न आरक्षित में डीटीएल का विनियोजन	Ī	211.28	
कंपनी अधिनियम के अनुसार सीएसआ	र आरक्षित		19.27	
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष		(73,8	398.09)	(107, 187.33)
(आर.सी.लोढ़ा)	(बी.के. दिवाकर)	(आर. के. गोयल)	((राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	स एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

 सौरभ गर्ग
 शेखर भटनागर
 एम.पी.शोरावाला
 कृष्ण सेठी

 निदेशक
 निदेशक
 निदेशक
 निदेशक

श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा एस.बी. रोडे गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक निदेशक निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000131एन एफ.आर.नं. -004135एस एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए आर.के.अग्रवाल)
भागीदार(सीए वीराबासना गौड़ा)
भागीदार(सीए मुकेश गोयल)
भागीदारसदस्यता सं. 081510सदस्यता सं. 208698सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार पफ.आर.नं. 301075ई एफ.आर.नं. 321095ई एफ.एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए जी. मुखोपाध्याय)(सीए बी.एन. मिश्रा)(सीए अम्बेश ए. दवे)भागीदारभागीदारभागीदारसदस्यता सं. 010534सदस्यता सं. 083927सदस्यता सं. 049289

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

1. तैयार करने का आधार :

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में बैंक इसकी अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स की लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर, (इसके बाद इन्हें 'समेकित वित्तीय विवरणियां' के नाम से संबोधित किया जाएगा.) तैयार की गई हैं.

- 2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :
 - समेकित खाते तैयार करने के आधार सहित बैंक की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 'समेकित वित्तीय विवरणियों' की अनुसूची 17 में सन्निहित है.
- 3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ :
 - लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं. तथापि जहाँ कहीं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन है या लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों में परिवर्तन अथवा ध्यान आकर्षित करने सम्बन्धी टिप्पणियां एवं प्रकटीकरण निम्नलिखित पैरा 4. 5 एवं 6 में दिए गए हैं.
- 4. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस ने वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के परिपत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/पॉलिसी परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त, 2014 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों द्वारा रखे जा रही विशेष आरक्षित निधियों पर ₹ 3 करोड़ की आस्थिगित कर देयता सृजित की है.
- 5. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस के लेखापरीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया है कि कंपनी की चालू देयताएं उसकी चालू परिसंपत्तियों से अधिक हो गई है. इस असंतुलन पर प्रबंधतंत्र द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है.
- 6. समेकित वित्तीय विवरणियों, जिनमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी) के रु. 3.24 करोड़ लाभ की हिस्सेदारी शामिल है, लेखापरीक्षक ने एनपीए संचलन ज्ञात करने, आयकर, टीडीएस, सेवाकर तथा अंतर कार्यालय की बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के संबंध में प्रावधान इत्यादि पर ध्यान देने के लिए पुन: आग्रह किया है, जिसका सीएमपीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़े प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है.
 - इसी प्रकार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (यूबीजीबी) की समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल रु. 35.46 करोड़ की हिस्सेदारी के मामले में लेखापरीक्षक ने आयकर के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके यूबीजीबी की वित्तीय विवरणियों पर पड़े प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है.
- 7. एसोशिएट यथा इंडो-जाम्बिया बैंक का लेखा वर्ष, कैलेण्डर वर्ष है. तथापि लाभ में हिस्सेदारी, लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर 9 माह के लिए एवं 3 माह के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है.

(आर.सी. लोढ़ा)	(बी.के. दिवाकर)	(आर.के. गोयल)	(राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(सौरभ गर्ग)	(शेखर भटनागर)	(एम.पी.शोरावाला)	(कृष्ण सेठी)
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
(श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा)	(एस.बी. रोडे)	(गुरबख्श कुमार जोशी)	
निदेशक	निदेशक	निदेशक	



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफआरएन.000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)

भागीदार .

सदस्यता सं.081510

कृते एन.सरकार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफआरएन.30107*5*ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 010534

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफआरएन.004135एस

(सीए वीरबासना गौड़ा)

भागीदार

सदस्यता सं.023488

कृते बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार एफआरएन.321095ई

(सीए बी.एन. मिश्रा)

भागीदार

सदस्यता सं.083927

कृते दूगड़ एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफआरएन.000561एन

(सीए मुकेश गोयल)

भागीदार

सदस्यता सं.08181

कृते चंदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार एफआरएन.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)

भागीदार

सदस्यता सं.049289



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

			(राशि करोड़ मे)
क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2015	31-03-2014
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	909.93	(975.67)
I	के समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	229.62	208.81
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(18.56)	256.56
	अपलिखित अशोध्य ऋण/गैर निष्पादित आस्तियों में प्रावधान	2,061.98	3,291.16
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	588.55	690.10
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	38.18	(5.62)
	आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	-	(10.87)
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	0.64	1.19
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक से किया गया)	696.03	642.26
	निवेशों के मोचन पर हानि	-	0.01
	जेएनवाई कूपन पर ब्याज	-	5.17
	उप योग	4,506.37	4,103.10
II	के समायोजन हेतु		
	जमा में वृद्धि/ (कमी)	15,597.07	14,125.44
	उधारों में वृद्धि/ (कमी)	3,962.03	3,741.26
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,853.29	2,760.79
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(13,963.45)	(9,429.83)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(9,379.63)	(13,778.82)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	665.80	(3,301.86)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(967.74)	(709.80)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (ए)	(2,232.66)	(6,592.82)
	परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	2,273.71	(2,489.72)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	815.27	49.51
	अचल आस्तियों की खरीद	(1,100.11)	(405.14)
	आरआरबी/असोशिएट में निवेश	(46.83)	(13.41)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(331.67)	(369.04)



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

					(राशि करोड़ मे)
क्र.सं.	विवरण			31- 03- 2015	31-03-2014
सी	वित्तपोषित गतिविधियों से नक	द प्रवाह			
	शेयर पूंजी			1,207.85	1,801.90
	लाभांश - अंतरिम लाभांश स	हित इक्विटि शेयर्स		(1.34)	(1.22)
	लाभांश कर			(0.81)	(0.65)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज			_	(5.17)
	गौण कर्ज पर ब्याज			(696.03)	(642.26)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध	: नकढ प्रवाह	-	509.67	1,152.60
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी-		ण्डत व्रद्धि	2,451.71	(1,706.16)
ई	वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा न				(1,700.10)
4	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	414 131. 4		11,926.63	13,560.17
	बैंक में तथा मांग पर धन एवं	थला मन्त्रा में शेष		459.69	532.31
		·	_		
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष		12,386.32	14,092.48	
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं	नकद समकक्ष			
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	~ `		14,116.32	11,926.63
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथ		_	721.66	459.69
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा	नकद समकक्ष	_	14,838.03	12,386.32
	(आर.सी. लोढ़ा)	(बी.के. दिवाकर)	(आर.के. गोयल)	(रार्ज	ोव ऋषि)
	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एव	व्रं प्रबंध निदेशक
कृ	ते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोसिएट्र	त कृते पी.के. सुढ़	ामणियम एण्ड कं.	कृते दूगड़ एण्ड ए	रसोसिएट्स
	सनदी लेखाकार	सनदी	लेखाकार	सनदी लेख	ाकार
	एफआरएन.000131एन	एफआरएन	.004135एस	एफआरएन.000	0561एन
	(सीए आर.के. अग्रवाल)	(सीए वीख	बासना गौड़ा)	(सीए मुकेश	गोयल)
	भागीदार	भा	गीदार	भागीदा	र
	सदस्यता सं.081510	सदस्यता	सं.023488	सदस्यता सं.०	08181
	कृते एन.सरकार एण्ड कं.	कृते बी.एन.	मिश्रा एण्ड कं.	कृते चंदाभॉय एण	ड जस्सूभॉय
	सनदी लेखाकार	सनदी	लेखाकार	सनदी लेख	ाकार
	एफआरएन.301075ई	एफआरएन	न.321095ई	एफआरएन.101	647डब्ल्यू
	(सीए जी. मुखोपाध्याय)	(सीए बी.	.एन. मिश्रा)	(सीए अम्बेश	ए. दवे)
	भागीदार	भा	गीदार	भागीदा	र
	सदस्यता सं. 010534	सदस्यता	सं.083927	सदस्यता सं.०	49289

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 25 मई, 2015





सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पाँइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

8वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी उ	आईडी#/ग्राहक आईडी#				
शेयरों की संख्या					
			निवासी	जिला	
राज्य			_, सेन्ट्रल बैंक ऑफ	s इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसिय	त र
श्री/सुश्री		निवासी		जिला	
राज्य	, को अ	तथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री .			
निवासी	जिला	, राज्य		, को सोमवार, 30 जून, 2015 प्	र्वाः
विलेपार्ले (पश्चिम),	मुंबई - 400 056 में सेन्द्		ारकों की आयोजित	एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स होने वाली 8वीं वार्षिक सामान्य बैठ	
तारीख	माह	वर्ष 2015 को यह हस्त	गक्षरित किया गया.		
				कृपया	
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर .				रेवेन्यू स्टैप चिपकाएं	
		प्रथम/ए	कल शेयरधारक के	हस्ताक्षर	_
नाम					
(स्पष्ट अक्षरों में)					
पता					



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- 1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी)संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटानीं द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी)कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- 2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हों, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक िक वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
- 4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
- 5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
- 6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादन कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
- 7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
- प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
- 9. प्रॉक्सी का प्रपत्र फार्म बी में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.





सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पाँइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/	
शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
संयुक्त धारक	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम	
(स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम,
	विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 056

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पंजीकृत पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी	
शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि


बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

का नाम एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु इप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.



नोट्स /	NOTES
	72



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The Financial Year 2014-15 has been a year of consolidation for the Bank. Growth has been moderated to align it with the market scenario. The Bank strategized its focus on business segments like Agriculture, SME & Retail Advances, which has started yielding results during the year.

Growth prospects of major economies, though look brighter for the year ahead, continue to be subdued in the near term outlook. Developing countries are widely expected to have a better year ahead given the soft oil prices, low global interest rates and a stronger US economy. While growth in China is slowing down to the official target of around 7%, India is set to grow faster in the next two years.

In a major development, the Central Statistics Office, Government of India released the new GDP series shifting the base year to 2011-12 from 2004-05. The new series deploys improved methodologies and uses more data thereby bringing India on par with international standards of GDP estimation. Using the new estimate, the GDP growth of the country for 2015-16 at market prices is expected to be in the range of 8.1 to 8.5%. The Economic Survey published by Government of India, however, takes a balanced view of the growth estimate and states thus in the report: "The balance of evidence and caution counsel in favour of an interpretation of a recovering rather than surging Indian economy".

The series of policy measures undertaken by the Government, ongoing moderation in inflation and the prospects of a softer interest rate regime would provide necessary impetus for reviving industrial production and domestic consumption. Prospects of recovery and growth, therefore, offer reasons to be optimistic about sustainable growth in all business segments.

During the Financial Year 2014-15, Business of the Bank increased to Rs 4,50,539 crore from Rs 4,23,390 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 6.41%. The Deposit and Credit growth of the Bank stood at 6.46% and 6.35% respectively. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 34.05% as against 33.33% in Financial Year 2013-14. To ensure profitable growth in Business, *High Cost Deposits* have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 10.73% as on Mar-2015 from as high as 21.84% as on March-2014. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 21.59%.

The operating profit of the Bank increased to Rs 3559 crore from Rs 3238 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 9.91%. Further, Bank posted Net profit of Rs. 606 crore as against a Net Loss of Rs (1263) crore in previous year.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 7.22% from 7.24% in Financial Year 2013-14, the Net Interest Income of the Bank increased to Rs 7247 crore from Rs 6494 crore in Financial Year 2013-14 registering a growth of 11.60%. The Other Income or Fee – based Income of the Bank has reduced to Rs 1894 crore from Rs 1923 crore in Financial Year 2013-14.



Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. The percentage of Gross NPA to Gross Advances reduced to 6.09% from 6.27% in Financial Year 2013-14 and percentage of Net NPA to Net Advances reduced to 3.61% from 3.75% in Financial Year 2013-14. This is on account of stress in some sectors like Infrastructure, Textiles, Iron & Steel, Engineering & Manufacturing, Gems & Jwellery etc. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to contain the percentage Gross NPA below 5.25% and Net NPA below 2.20% for Financial Year 2015-16.

Bank is fully engaged in inclusive growth through various Financial Inclusion initiatives to reach 'the last mile' of economy. The *Direct Benefit Transfer (DBT)* programme of the government is being implemented in various districts out of which we are lead bank in eight districts .Further progress in these districts and in new districts will be made during the FY-2015-16. This programme paves the way for the Bank to canvass more CASA Deposits and also for Credit Expansion. Further, Bank has successfully implemented 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna' and have opened around 57,17,895 accounts as on 31st March, 2015.

A Bank with 4689 branches as on March 2015, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a *Retail Bank*. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March 2015.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Rajeev Rishi

Place: Delhi

Date: May 25, 2015



NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 30th June, 2015 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business:

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To declare dividend for the financial year 2014-15.
- 3) To elect two Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place:Delhi A K DAS
Date: 25.05.2015 Assistant General Manager-MBD/

SSISTANT General Manager-MBD/ Company Secretary

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Friday, the 29th May, 2015 has been fixed as Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Directors from amongst the shareholders other than the Central Government.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

7. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2015 (Thursday) to 30th June, 2015 (Tuesday) (both days inclusive).

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.



9. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

11.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- > Address of the Branch
- Bank Account Number
- > 9 digit MICR code of the branch
- > IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft, etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

13. Voting through electronic means

I. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting.



The process and instructions for e-voting are as under:

- (i) The voting period begins on Saturday, 27th June 2015 at 10.00 AM and ends on Monday, 29th June 2015 at 05.00 PM. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 24th June 2015, may cast their vote electronically except Agenda item no. 3 for which cut-off date is Friday, 29th May 2015. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
	 In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio.
Details	 Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv)

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant < Company Name > on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.



(xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password.
 The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour
 of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the
 same.
- (xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of Wednesday, 24th June, 2015 for agenda nos. 1 and 2. For agenda no.3, the cut- off date will be Friday, 29th May 2015. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- IV. Shri Pramod S. Shah, Practising Company Secretary (Certificate of Practice Number 3804) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- V. The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same.
- VI. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia. co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.



EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF TWO SHAREHOLDERS' DIRECTORS

• RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than the Government of India hold 18.5401% of the equity share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include two directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). Accordingly, two directors are required to be elected by the shareholders other than Central Government to fill up the aforesaid vacancies.

Therefore, an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of two directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicated hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancies) or in subsequent election on 30th June, 2015, if there are more contestants. The elected directors shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9 (3A) (A) to (C)	Special Knowledge in certain fields
	Section 9 (3AA)	 No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe
	Section 9 (3AB)	 RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9 (4)	Term of office of elected directors
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the bank
	Clause 11	Vacation of office of Directors
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12 (8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested



ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Central Bank of India (Shares and	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
Meetings) Regulations, 1998	Regulation 61	Voting at General Meetings
	Regulation 63	Directors to be elected at general meetings
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	 Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	• Proxies
RBI Notification No. DBOD No.BC No. 46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01st November 2007 read with Notification No DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.	Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,	Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks

EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47 /2939.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, at the Bank's Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Tuesday, 16th June 2015.

QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein.

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely, agricultural and rural economy,

banking,

co-operation,

economics,

finance.

law,

small scale industry,

any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank;

- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.
- (c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.



DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director
 - (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - (d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, if he is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS to CONTESTANTS

A list of Shareholders of the Bank as on **Friday**, **29**th **May 2015** will be available for sale on and from **Tuesday**, **2**nd **June 2015** onwards on payment of **Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is open for inspection at the Central Office of the Bank from Monday to Friday between 11 A.M. to 3 P.M. and on Saturday from 11 A.M. to 1 P.M. (other than Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/RTA as on 29th May, 2015, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 29th May, 2015, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday, 29th May 2015 being the Specified Date for participating in the election;
- (b) as on Tuesday, 16th June 2015 (the last date for receipt of nominations), he is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;
- (c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager –MBD & Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;
- (d) the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge,



Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website- www.centralbankofindia.co.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

- a) duly filled in Declaration Form;
- b) nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Assistant General Manager MBD & Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Tuesday**, the 16th June 2015.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- a) Nominations shall be scrutinized on Wednesday, 17th June 2015, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nominations Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01st November 2007 and 23rd May 2011 issued by the Reserve Bank of India.
- c) If there are only TWO valid nominations for the TWO vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. The elected candidates shall assume office from the date next to the date on which they are declared as elected.
- d) In the event of an election being held, If the valid nominations are more than TWO, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers. They will assume office on 1st July 2015.
- e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Saturday, 27th June 2015.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Delhi Date: 25.05.2015 Sd/-A K DAS Assistant General Manager-MBD/ Company Secretary



DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

		son/daughter/wife of
	Shri/Smtesiding at	hereby confirm that:
	a. I am a shareholder holding equ	uity shares of Rs.10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under/Client ID No as on Friday, 29th May,
b.	(iv)Economics, (v)Finance, (vi)Law, (vii)Sr experience of which in the opinion of Reser Depositors / Farmers, Workers and Artisans	erience in* (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii)Co-operation, nall Scale Industry, or (special knowledge of and practical rive Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of , in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
c)	c) I accept the nominations numbered from	to, and
d)	d) I am willing to contest the election for Direc	tor of Central Bank of India, and
e)	Banking Companies (Acquisition and Tran	of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The sfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and RBI
f)		n employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under it of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State .
g)	g) I enclose my personal Information details w	rhich are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and
h)	I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.	
	Name	
	Signature	
	No. of Shares	
	Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
	DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
	Place	
	Date	
	The above declaration was signed before n	ne
	Signature with Seal and	
	Name of the attesting official	
	•	inee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or

* Tick whichever is applicable.



NOMINATION FORM (BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

То,		SI.No.	
The Chairman & Managing Director			I
Central Bank of India			
Central Office,			
Chandermukhi, Nariman Point,			
Mumbai 400021			
Dear Sir,			
N	omination for Election of a Dire	ctor	
With reference to your Notice dated shareholder of Central Bank of India, holding 29th May 2015 being the Specified Date for residing at elected as a Director of Central Bank of India Banking Companies (Acquisition and Transference)	equity shares or the purpose of participation in son/daughter/wife of Shri/Smt	of Rs. 10/- each (fully paid up) the election, do hereby nomi le. the Bank as provided in Section	for being 9 (3) (i) of the
to be held on Tuesday, 30th June, 2015.	I		
Signature			
Name			
No. of Shares			
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)			
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)			
Place			
Date			

Notes:

- In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy
 of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was
 passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to rejected.



Affix Self Attested Passport Size Photo here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

	Declaration and Undertaking by the Candidate with enclos	uros as appropriato as on	2015
I.	Personal details of the candidate		_ 2013
1.	Name in Full (in block capital letters)		
2.	Father's Name (in Full)		
3.	Date of Birth		
4.	Nationality		
5.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.		
6.	Permanent Address		
7.	Present Address (For correspondence)		
8.	(1) E-mail ID		
	(2) Telephone Number (Landline)		
	(3) Cell Phone Number		
II.	Qualification and Experience		
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).		
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).		
3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.		
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).		
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.		
III.	Details of Relationships of the candidate		
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way [Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014.]		
2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013].		
3.	Details of shares of the Central Bank of India held, if any, in the name of the candidate: (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or DP ID and client ID).		
4. a	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.		



List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.	
Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Central Bank of India Bank or any other bank.	
Professional Achievements	
Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
Proceedings, if any, against the Candidate	
If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/ or against any of the entities listed in III-2, 4(a),4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970?	
Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same should also be mentioned).	
	are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949. Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship). Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above. Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Central Bank of India Bank or any other bank. Professional Achievements Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank). Proceedings, if any, against the Candidate If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III-2, 4(a), 4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any. Whether the candidate/director attracts any of the Mationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970? Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency? Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government d



Signature of Member	Signature of Member	r Signature of Member
2. All pages (including annex Observations of the Nomination Con	cures) are required to be signed nmittee:	by the candidate.
appropriate cross reference	e.	tion as annexure in chronological order and with
Enclosures :		
Date :		Signature of the Candidate
Place :	or Covenant required to be exe	ecuted by the directors of the bank.
undertake to keep the bank fully intellection as a shareholder director of lalso undertake to execute the deed	f the bank, which are relevant to	
confirm that the above	information is to the best of r	Son/Daughter of Shriny knowledge and belief, true and complete. I
Undertaking		
10. Any other explanation / inform V and other information cons 'fit and proper' status.		
any business with the Bank?	If so, give particulars.	
give particulars. 9. Has the candidate in his/her inc		
9. Has the candidate in his/her inc	or instructions of any other nk or companies, etc. ? If so,	



	TOTAL BUSINESS (RS. IN CRORES)										
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15		
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539		
YoY Growth		35.48 %	18.10 %	23.49 %	15.43 %	11.63 %	15.96 %	5.25 %	6.41%		
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572		
YoY Growth		33.28 %	18.99 %	23.49 %	10.64 %	9.38 %	15.22 %	6.21 %	6.46%		
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967		
YoY Growth		38.88 %	16.76 %	23.49 %	22.67 %	14.70 %	16.92 %	4.02 %	6.35%		
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655		
YoY Growth		12.43 %	36.14 %	17.02 %	5.46 %	8.62 %	21.96 %	18.88 %	10.73%		
CD Ratio	64.62 %	67.34 %	66.08 %	66.08 %	73.27 %	76.83 %	77.97 %	76.36 %	76.29		
Return on Assets	0.62 %	0.54 %	0.45 %	0.66 %	0.70 %	0.26 %	0.44 %	(0.47 %)	0.21%		

	PROFITABILITY (RS. IN CRORES)											
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15			
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303			
YoY Growth		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41%			
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744			
YoY Growth		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06%			
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559			
YoY Growth		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91%			
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606			
YoY Growth		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43%)	147.98			
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79			
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247			
YoY Growth		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60%			
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894			
YoY Growth		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)			



DIRECTORS' REPORT 2014-15

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2015.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased by Rs. 27149 crore to Rs. 450539 crore from Rs. 423390 crore in previous year, registering y-o-y growth of 6.41 per cent.
- 🧇 Total Deposits increased by Rs.15503 crore to Rs. 255572 crore, registering y-o-y growth of 6.46 per cent.
- 🧇 Total Advances of the Bank grew by Rs. 11646 crore to Rs. 194967 crore, registering y-o-y growth of 6.35 per cent.
- Operating Profit increased to Rs. 3559 crore from Rs. 3238 crore in FY 2013-14, registering y-o-y growth of 9.91 per cent.
- Net Profit stood at Rs. 606 crore in 2014-15 as against net loss of Rs. 1263 crore in FY 2013-14, thereby registering y-o-y growth of 147.98 per cent.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.89 per cent with Tier I at 8.46 percent as against 11.96 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.90 per cent with Tier I at 8.05 percent as against 9.87 per cent in previous year.
- Net worth increased to Rs. 15643 crore from Rs. 13918 crore.
- Gross NPA of the Bank increased by Rs. 373 crore to Rs. 11873 crore from Rs. 11500 crore in previous year. In percentage term Gross NPA has decreased to 6.09 per cent in FY 2014-15 from 6.27 per cent in last year.
- Net NPA increased to Rs.6807 crore from Rs.6649 crore in previous year. Net NPA percentage has decreased to 3.61 per cent from 3.75 per cent in previous year.
- Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 55.16 per cent from 50.68 per cent in March 2014.
- Net Interest Margin (NIM) improved to 2.79 per cent from 2.73 per cent in FY 2013-14.
- Business per Employee increased to Rs. 1138 lakh from Rs. 1025 lakh in previous year.
- Return on Assets (ROA) is 0.21 per cent for the current financial year.
- Credit to Priority Sector increased to Rs. 75997 crore from Rs. 68652 crore in previous year, recording y-o-y growth of 10.70 per cent.
- Agriculture Advance of the Bank increased to Rs. 35,957 crore from Rs. 35,387 crore in FY 2013-14 registering y-o-y growth of 1.61 per cent.
- Under the micro credit & other (credit upto Rs. 50,000 per borrower), Bank has extended credit of Rs. 206 crore during FY 2014-15.
- Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to Rs. 26503 crore during the year under review from Rs. 21515 crore in previous year.
- Education Loan grew by 15.50 per cent during the year and the total loan reached to Rs. 3442 crore.
- Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2014-15, the RSETIs conducted 891 training programmes and imparted training to 24290 candidates. Out of this, 14816 (i.e.61%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- 🦫 Bank has 3 RRBs as on 31st March 2015 in 3 states covering 47 districts with a network of 1622 branches.
- Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,371** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,382** BC Agents. We have also opened 238 Branches in unbanked rural centres. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches. Bank has opened **146.71** lacs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **763.99 crores** as on 31st March, 2015.
- Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana our Bank has opened 57.35 lacs BSBD accounts and increased business with a deposit of Rs.317.82 Crores.
- The corporate credit of the Bank decreased to Rs. 97,608 crore from Rs. 97,568 crore in previous year registering y-o-y reduction of 0.04 per cent.
- 🍄 The retail credit grew by 21.27 per cent from Rs. 28,811 crore in FY 2013-14 to Rs. 34,939 crore in FY 2014-15.
- Total earning from Bancassurance business is Rs. 25.27 crore for FY 2014-15.



As on 31st March 2015, Bank has a network of 4689 branches, 3677 ultra-small branches (USBs), 4835 ATMs, 29 Satellite Offices & 4 Extension Counters across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2014-15 are given hereunder:

					Rs. In Crores
		31.03.2015	31.03.2014	Variation	%
1	INTEREST INCOME	26409	24427	1982	8.11
	-Advances	19517	18620	897	4.82
	-Investments	6707	5764	943	16.36
	-Others	185	43	142	330.23
2	OTHER INCOME	1894	1923	(29)	(1.51)
3	TOTAL INCOME (1+2)	28303	26350	1953	7.41
4	INTEREST EXPENDED	19162	17933	1229	6.85
	-Deposits	17520	16374	1146	7.00
	-Others	1642	1559	83	5.32
5	OPERATING EXPENSES	5582	5179	403	7.78
	-Establishment	3825	3537	288	8.14
	-others	1757	1642	115	7.00
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	24744	23112	1632	7.06
7	SPREAD (1-4)	7247	6494	753	11.60
8	OPERATING PROFIT (3-6)	3559	3238	321	9.91
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	2669	4233	(1564)	(36.95)
10	PROVISIONS FOR TAX	284	268	16	5.97
11	NET PROFIT	606	(1263)	1869	147.98

- Interest Income grew by 8.11 per cent during the year
- Interest expenses on Deposits increased by 7.00 per cent to Rs. 17520 crore in March 2015 from Rs. 16374 crore in previous year.
- Expenses on employees increased by Rs. 288 crore during the year to Rs. 3825 crore from Rs. 3537 crore in previous year.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of Rs.2953 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2014-15 vis-a-vis previous year are detailed as under:

			(Rs. in crore)
	31.03.2015	31.03.2014	Variation
Provisions for Standard Assets	39	(7)	46
Provisions for NPAs	2610	3989	(1379)
Provision on Investments	(21)	258	(279)
Provisions for Taxes	284	268	16
Others	41	(7)	48
TOTAL	2953	4501	(1548)

4. PROFITABILITY RATIO

		(In percentage)
	31.03.2015	31.03.2014
Cost of Deposits	7.22	7.24
Cost of Funds	7.34	7.37
Yield on Advances	10.75	10.79
Yield on Investments	8.22	7.84
Net Interest Margin	2.79	2.73
Cost Income Ratio	61.07	61.53



5. BANKING RATIOS

		(In percentage)
	2014-15	2013-14
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	9.29	9.18
Non-Interest Income to AWF	0.67	0.72
Operating Profit to AWF	1.25	1.22
Return on Average Assets	0.21	
Business Per Employee (Rs. in lakh)	1138	1025
Net Profit per Employee (Rs. in lakh)	153	

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03	.2015	31.03.2014		
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III	
Tier-I	8.46	8.05	8.12	7.37	
Tier-II	3.43	2.85	3.84	2.50	
Capital Adequacy Ratio	11.89	10.90	11.96	9.87	

7. NET PROFIT & DIVIDEND

The Bank earned Net Profit of Rs. 606 crore for the financial year 2014-15. The Board of Directors are pleased to recommend a dividend @ 5 per cent on the Equity Share Capital i.e. Rs. 0.50/- per equity share of Rs.10/- each.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri Guman Singh ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. August 08, 2014 consequent upon expiry of his term on August 07, 2014.
- Shri Animesh Chauhan ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f. 31st December, 2014 upon elevation as Managing Director & Chief Executive Officer of Oriental Bank of Commerce.
- Prof. N. Balakrishnan, who was elected as Shareholder Director of the Bank under section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from January 10, 2012 has ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on January 09, 2015 consequent upon completion of his tenure.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Guman Singh, Shri Animesh Chauhan and Prof. N. Balakrishnan who ceased to be the directors of the Bank during Financial Year 2014-15.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015;

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31,2015;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.
- Internal Financial Control are adequate and were operating effectively.
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.



11. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

12. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Delhi Rajeev Rishi

Date : May 25, 2015 Chairman & Managing Director



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC OVERVIEW

Growth prospects of major economies, though look brighter for the year ahead, continue to be subdued in the near term outlook. Developing countries are widely expected to have a better year ahead given the soft oil prices, low global interest rates and a stronger US economy. While growth in China is slowing down to the official target of around 7%, India is set to grow faster in the next two years.

In a major development, the Central Statistics Office, Government of India released the new GDP series shifting the base year to 2011-12 from 2004-05. The new series deploys improved methodologies and uses more data thereby bringing India on par with international standards of GDP estimation. Using the new estimate, the GDP growth of the country for 2015-16 at market prices is expected to be in the range of 8.1 to 8.5%. The Economic Survey published by Government of India, however, takes a balanced view of the growth estimate and states thus in the report: "The balance of evidence and caution counsel in favour of an interpretation of a recovering rather than surging Indian economy".

The series of policy measures undertaken by the Government, ongoing moderation in inflation and the prospects of a softer interest rate regime would provide necessary impetus for reviving industrial production and domestic consumption. Prospects of recovery and growth, therefore, offer reasons to be optimistic about sustainable growth in all business segments.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2015, the Total Business of the Bank was Rs. 450539 crore, registering a growth of 6.41 per cent from the previous year figure of Rs. 423390 crore. The Operating Profit reached to Rs. 3559 from previous year figure of Rs. 3238 crore, making a growth of 9.91 per cent. The Bank has posted Net Profit of Rs. 606 crore in 2014-15 as against Rs. 1263 crore loss in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2015 stood at Rs. 255572 crore, registering a growth rate of 6.46 per cent over previous year. Saving Bank Deposits increased to Rs. 73810 crore with a growth of 11.04% in 2014-15 from Rs. 66474 crore in last year. However, Current Deposits decreased to Rs. 13202 crore in 2014-15 from Rs. 13537 crore in 2013-14. The share of CASA Deposits to Total Deposits was increased to 34.05 per cent as against 33.33 % in last year. Total Core Deposits increased to Rs.228137 crore in 2014-15 with Y-o-Y growth of 21.59 per cent from Rs. 187635 crore in 2013-14 whereas Core Term Deposits grew by 31.13 per cent to reach a level of Rs. 141125 crore in 2014-15 from Rs. 107624 crore in 2013-14.

CREDIT

As of 31.03.2015, the gross credit of the Bank stood at Rs.194967 crore as against Rs.183321 crore in the previous year, registering y-o-y growth of 6.35 per cent. The growth in credit is diversified in all segments as under:

Rs. in crore

	As on 31.03.2014	As on 31.03.2015	Growth (%)
Corporate Credit	97608	97568	(0.04)
Agriculture	35387	35957	1.63
MSE	21515	26503	23.18
Retail Lending	28811	34939	21.27

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSE, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive. The credit deployment under priority sector increased from Rs.68,652 crore to Rs.75997 crore during 2014-15, recording a growth of 10.70% over previous year.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from Rs.28811 Crore as on 31.03.2014 to Rs.34939 crore as on 31.03.2015 to, registering absolute growth of Rs.6128 Crore with percentage growth of 21% over March 2014. The retail portfolio of the Bank was 17.92% per cent of total advances.

INTERNATIONAL DIVISION

\$

Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 89 Authorized Dealer Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.



- During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from Rs.5509 crore as on 31.03.2014 to Rs.5571 crore as on 31.03.2015.
- Merchant trade foreign exchange turnover was Rs. 44,166.25 crore in FY 2014-15 as against Rs. 43,783 crore in FY 2013-14.
- NRE Deposits increased from Rs 2485.28 crore as on 31.03.2014 to Rs 3079 crore as on 31.3.2015 an increase of 23.89% over the previous year.
 - FCNR Deposits increased from USD 142.12 million as on 31.3.2014 to USD 174.85 million as on 31.03.2015, an increase of over 15% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.95655 crore as on 31st March 2015 as against Rs.86384 crore as on 31st March 2014 thereby recording an increase of 10.73% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.74% as on 31st March 2015 vis-à-vis 8.83% on 31.03.2014.
- PRBI took a slew of measures to provide stable liquidity by bringing in variants of repo, term repo, variable term and reverse repo during the FY 2014-15. The Repo rates were reduced twice in FY 2014-15 by .50 %(.25% in Jan 15 and .25% in March 15 respectively).

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

RECOVERY

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

During the year 2014-15, though Cash Recovery of Rs.1365 crore, Upgradation of Rs.2336 crore and Sale of NPAs Rs.1119 crores, aggregating to Rs.4820 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (21 accounts of Rs.50.00 crore and above amounting to Rs.3092 crores).

INFORMATION TECHNOLOGY

The bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The contract with System Integrator M/s TCS for Core Banking Solution has been renewed for 5 years starting from 1st October 2012. The contract renewal process essentially involved augmentation/upgradation of the existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements including license renewal for CBS implementation in tune with future business projections and other statutory and security obligations. The entire set up is now geared to cope up with the Bank's requirement till September 2017.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. As on 31.03.2015 there were 2195 branches with Medium Risk Rating, 2303 branches with Low Risk Rating and 60 branches with High Risk Rating. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2015, Bank has network of 4689 branches, 3677 Ultra Small Branches, 4835 ATMs, 29 satellite offices and 4 Extension Counters. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 6 out of 7 Union Territories, 561 District Head Quarters and 568 Districts out of 642 districts in the country.

CUSTOMER GRIEVANCES

Bank has launched new Grievance Portal with user friendly features as a part of Internal Grievance Redressal Mechanism. To have zero tolerance for customer complaints against staff misbehavior bank has formed a panel of retired General Managers of other PSBs for independent and impartial investigation in the misbehavior incidents.

CORPORATE COMMUNICATIONS

The Bank continued to get publicity mileage during the year as efforts were taken under Corporate branding exercise to give wide publicity of Bank's products and services and garner business out of the activities with the thrust on low cost advertising and active engagement/involvement of the field staff.



VIGILANCE

During the period 2014-15, the vigilance cases as also complaints have been disposed-off much faster. The disposal of Vigilance cases & complaints have increased by 30% [YOY] during the year.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

At the end of March 2015 the staff strength of the Bank stood at 39,039 as against 40,661 in the previous year. The categorywise break-up of staff is given below:

Category	March 2015	March 2014
Officers	16,247	16,180
Clerks	14,098	15,424
Sub-staff	8,694	9,057
Grand Total	39,039	40,661

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

1. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- Owned funds have increased from Rs 82.82 crores as on March 2014 to Rs 88.19 crores as on March 2015 due to consistent growth in profits.
- During the year the total advances of the company improved from Rs. 487.60 Crores in March, 2014 to Rs.803.53 Crores as on March, 2015, Y-o-Y growth of 71.60%. Housing loans have increased from Rs 356.03 crores in March 2014 to Rs.610.95 crores as on March 2015 registering growth of 64.60%. Non Housing loans increased to Rs 131.38 crore from Rs 112.49 crore registering growth of 16.79%.

11. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship and Merchant Banking activities; while the Company has discontinued carrying on Mutual Fund Advisor activity.

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD.

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- 🦠 The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- During the calendar year 2014, Indo Zambia Bank issued Bonus shares to all the stake holders. Accordingly, our Bank has received 1,21,24,763 shares of Kwatcha 1 each.
- During the calendar year 2014, with the approval of RBI, Central Government and the Board of our Bank has infused our share of capital to the extent of Kwatcha 48.60 Million.
- As at the end of December 2014, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwatcha 1 each value of which in INR terms stood at Rs. 81.53 crore.
- As on 31st March 2015, INR value of the shares was Rs.85.08 crore.

iv. Regional Rural Banks:

- We have 3 RRBs as on 31st March 2015 in 3 states covering 47 districts with a network of 1622 branches.
- Seing sponsor Bank, we have invested Rs.277.11 crore as 35 % of capital of RRBs. Besides this we have invested Rs.69.35 crore as perpetual Bonds in these RRBs.

AWARDS & ACCOLADES

- During the financial yeaar 2014-15, Bank was awarded 'Second' prize of the year 2013-14 under linguistic area 'B' for our bank's house journal 'CENTRALITE' by Government of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag under their 'house journal Puraskar Yojana'. The Shield was received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director at the behest of Hon'ble President Shri Pranab Mukherjee in a glittering function organized a Vigyan Bhawan, New Delhi.
- During the financial year 2014-15, Bank also bagged 'Reserve Bank of India Governor Shield' for the year 2013-14 for the Implementation of Official Language Policy in Linguistic Region 'A' and 'C'. Both the awards were received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director from Shri Raghuram G. Rajan, Governor, RBI.
- Further, our bank has also received 'First' prizes for the best performance in implementation of Official Language Policy in state of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh by the state level bankers Committees of these three states.



- Sank won three awards at CIMSME MSME Banking Excellence Awards 2014 event at New Delhi 1) Best MSME Bank Award for Large Bank Runner UP, 2) Best Bank award for Financial Inclusion and 3) Special Plaque for Best Performance under 'PMJDY'.
- Central Bank of India was awarded with PMJDY Excellence Award in a glittering function organized by the Federation of Industry Trade and Services at New Delhi.



CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals improved performance and enhanced shareholders' value.
- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.
- ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR 3 plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the rated company has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders adequate level of assurance on the quality of Corporate Governance.

Board of Directors

- The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- 🧇 During the year under review i.e. 2014-15, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2015	Area of Expertise	Committees of I	Chairmanship of Board of Central s on 31.03.2015 Chairman	Directorship of other Companies as on 31.03.2015	Whether attended last AGM on June 30, 2014
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS. SRC, IFRS, VIG CAC, HR, MRC	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, VIG, CAC, HR,	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd.	Yes
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR,	NIL	-Cent Bank Home Fin. Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2015	Area of Expertise	Committees of I Bank of India as	Chairmanship of Board of Central s on 31.03.2015	Directorship of other Companies as on 31.03.2015	Whether attended last AGM on June 30, 2014
3.	Shri Animesh Chauhan	Executive Director	05.08.2013 – 31.12.2014	NIL	Banking	Member MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC,	Chairman NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
4.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	HR, MRC MCB, ACB,	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank	Yes
						RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR,		Financial Services Ltd.	
5.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
6.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	Delhi-Mumbai Industrial Corridor Trust	No
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Prof. N. Balakrishnan	Shareholder Director	20.11.2008 - 19.11.2011 and from 10.01.2012 - 09.01.2015	160	Information Technology	RMC, CSC, ITS, SRC	ITS, SRC	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Data Security Council of India.	Yes
13.	Shri Guman Singh	Part Time Non-official Director	08.08.2011 - 07.08.2014	NIL	Retired Railway official	MCB, ACB, CSC, IFRS	NIL	NIL	Yes



lame	Position Held	Period						
			No. of Equity Shares of the		Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central		Directorship of	Whether
		1 (110111 - 10) 1 1				other Companies as on 31.03.2015	attended last AGM on June	
			on 31.03.2015			Bank of India as on 31.03.2015		30, 2014
	D . T						\(\text{\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\exittit{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\exittitt{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	· ·
			NIL	Lawyer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NIL		No
morawaia	Director	00.01.2010			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Exports (i) Eta.	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			NIL	Professional	ACB,	ACB	NIL	Yes
Sethi		28.02.2013			RMC,			
	Director				LVFC,			
					IFRS,			
Shri S.B. Rode	Officer	From	133	Banker	MC,	NIL	NIL	Yes
	Employee	02.04.2013			LVFC,			
	Director				CSC,			
					SRC			
hri Gurbax	Workmen	From	NIL	Banker	MCB,	NIL	NIL	No
lumar Joshi	Employee	10.07.2013			CSC,			
	Director				ITS,			
					SRC			
Smt. N.S.	Part Time	From	NIL	Social Service	ACB	NIL	NIL	Yes
Rathnaprabha	Non-official	19.12.2013			RMC.			
	Director				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					,			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	nri Gurbax umar Joshi mt. N.S.	norawala Non-official Director Part Time Non-official Director Part Time Non-official Director Officer Employee Director Morkmen Employee Director Morkmen Employee Director Morkmen Employee Director Morkmen Employee Director	norawala Non-official Director Part Time Non-official Director Pri S.B. Rode Officer Employee Director Mri Gurbax Jumar Joshi mt. N.S. Part Time End 19.12.2013 Part Time From 10.07.2013 Part Time Non-official 19.12.2013	norawala Non-official Director Part Time Non-official Director NIL Part Time Non-official Director NIL Non-official NIL	norawala Non-official Director	Non-official Director Non-official Director Non-official Director Part Time Non-official Director Non-official Director NIL Professional ACB, RMC, LVFC, IFRS, Director NII Banker MC, LVFC, CSC, SRC NII Gurbax Uworkmen Employee Director NII Banker MCB, CSC, ITS, SRC NII N.S. Part Time NIL Social Service ACB RMC, Director NII Social Service ACB RMC,	Non-official Director	norawala Non-official Director

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB - Management Committee of the Board

ACB - Audit Committee of the Board
RMC - Risk Management Committee
LVFC - Large Value Fraud Committee
CSC - Customer Service Committee

ITS - Information Technology Strategy Committee

SRC - Stakeholders Relationship Committee

RC - Remuneration Committee

IFRS - International Financial Reporting Standards Committee

VIG - Vigilance Committee

CAC - Credit Approval Committee
HR - Human Resources Committee
MRC - Monitoring of Recovery Committee

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2015, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Part-Time Non-Official Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months. The Management Committee of the Board met 17 times during the year.

Credit Approval Committee:

Pursuant to newly added clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto Rs.400.00crs, compromise / write off proposals upto Rs.10.00crs, premises proposals upto Rs.15.00lacs per annum (Rural Area), upto Rs.25.00lacs per annum (Semi-urban Area), upto



Rs.50.00lacs per annum (Urban Area) and upto Rs.1.00crs per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, General Manager (Risk Management) & General Manager/s in charge of Credit, General Manager In Charge of Finance, General Manager In Charge of Premises and General Manager In Charge of Recovery. The Credit Approval Committee met 32 times during the year.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. During the year, the Audit Committee met 12 times.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 Independent Directors. The Remuneration Committee met on 20.05.2014 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the Financial Year 2014-15.

Remuneration of Directors

The Non Official Independent Directors / Non Executive Director were paid sitting fees of Rs.10,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and Rs.5,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India. During the financial year 2014-15, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	25.59
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	24.28
3.	Shri Animesh Chauhan (Ex-ED)	17.91
4.	Shri B K Divakara (ED)	17.47
5.	Shri R C Lodha (ED)	0.91

During the year under review, the Bank has paid Rs.8,00,000/- (Rupees Eight Lakh only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.5,90,000/- (Rupees Five Lakh Ninety thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Stakeholders' Relationship Committee (earlier known as Shareholders'/ Investors Grievances Committee) has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. It was headed by Prof. N. Balakrishnan, Shareholder Director on the Board of our Bank till his retirement on 09.01.2015 and thereafter by Shri Krishan Sethi. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Abridged Annual Report 2014-15

The details of Investor Grievances for the year 2014-15 (01.04.2014 to 31.03.2015) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters Non Receipt of Share Certificate (s)	6
3	Non Receipt of Dividend Warrants	106
4	Not Receipt of Annual Report	27
5	Non Receipt of Refund Order	NIL
6	Correction in Refund Instrument	28
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	2
8	Total Grievances received	169
9	Total Grievances attended/resolved	169
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as per Equity Listing Agreement with Stock Exchanges.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised Rs. 1207.84 crores (including premium) from Life Insurance Corporation of India in two tranches on 1st August, 2014 & 1st January, 2015 by allotment of 7,10,75,753 & 8,28,90,000 equity shares on preferential basis respectively. Further, Bank has also issued 15,38,68,113 equity shares to Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 1617.00 crore (161,70,00,000 PNCPS of the face value of Rs. 10.00 each) held by Government of India (GOI). The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

General Shareholder Information

8th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Tuesday, 30th June, 2015 at 11:00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

- 1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2014-15
- 2. Date of Book Closure: 25th June 2015 to 30th June, 2015 (Both days inclusive)
- 3. Dividend Payment Date: on or before 30th July 2015

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Seventh Annual General Meeting	30 th June, 2014 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
2.	Sixth Annual General Meeting	29 th June, 2013, 11:00 AM	Same as above
3.	Fifth Annual General Meeting	27 th June, 2012, 4:00 PM	Same as above
	Fourth Annual General Meeting	29th July, 2011 3:00 PM	Same as above



Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2015-16 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2015

Series Particulars	Issue date	Total Value (Rs. in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Total		6522.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2015-16 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low on NSE & BSE are as under:

Month	N	SE	BSE	
	High Price	Low Price	High Price	Low Price
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
April 2014	57.20	48.30	57.20	48.30
May 2014	85.60	52.00	85.60	51.90
June 2014	89.00	72.80	88.85	72.80
July 2014	81.45	66.30	81.35	66.50
August 2014	71.95	61.90	72.00	62.00
September 2014	68.80	60.00	68.90	60.00
October 2014	67.45	58.15	67.40	58.05
November 2014	78.50	67.20	78.55	67.20
December 2014	92.65	65.95	92.50	66.60
January 2015	106.00	91.35	105.90	91.35
February 2015	120.60	100.70	121.00	100.35
March 2015	109.50	101.20	109.60	101.25



Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg, Bhandup (West)

Mumbai – 400 078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969

Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer

Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point

Mumbai 400 021

Contact No. 022- 6638 7818 Fax No.: 022- 2283 5198

Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

Shareholding pattern as on 31.03.2015

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2015						
Category of Shareholders	s No. of Shares No. of Shareholders		Total Shares	% of holding		
	Demat Physical Demat Physical					
Central Government	1350827438	0	1	0	1350827438	81.46
Clearing Member	1785002	0	276	0	1785002	0.11
Other Bodies Corporate	27013244	90	938	1	27013334	1.63
Directors	133	0	1	0	133	0.00
Financial Institutions	222440769	0	1	0	222440769	13.41
FII's	5525146	0	33	0	5525146	0.33
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
Hindu Undivided Family	102322	0	2	0	102322	0.01
Mutual Fund	74973	0	2	0	74973	0.00
Nationalized Banks	246382	0	5	0	246382	0.01
Non Nationalized Banks	452450	0	3	0	452450	0.03
Non Resident Indians	646221	121600	818	1	767821	0.05
Non Resident (Non Repatriable)	171476	0	271	0	171476	0.01
Public	42312575	15146	156378	119	42327721	2.55
Trusts	121948	0	19	0	121948	0.01
G I C & Its Subsidiaries	6334239	0	5	0	6334239	0.38
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	81327	0	2	0	81327	0.01
Total	1658136345	136836	158756	121	1658273181	100.00



Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2015 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	121	136836	0.01
NSDL	102158	282152028	17.01
CDSL*	56598	1375984317	82.98
Total	158877	1658273181	100.00

^{*} Including 1350827438 (81.46%) held IN DEMAT form by the Central Government.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2015 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	262	34,725
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	7	426
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	7	426
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	255	34,299

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2014-15.

Place: Delhi

Date: May 25, 2015

Sd/-[Rajeev Rishi] Chairman and Managing Director

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.



CERTIFICATE

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2015 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending against Central Bank of India as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B. N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA M.RAY) PARTNER M.No.012940 (CA B.N.MISRA) PARTNER M.No.083927

(CA AMBESH A.DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Mumbai Date: May 12, 2015



KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES B-12 (Ground Floor) Kalindi Colony, Near Maharani Bagh, New Delhi- 110065	P K SUBRAMANIAM & CO 11-5-23,Kartik Complex Above Vijaya Bank, Bresthwarpet Raichur- 584101, Karnataka	DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065
N SARKAR & CO 21 PrafullaSarkar Street 2nd floor Kolkata- 700072, West Bengal	B N MISRA & CO S-29, MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre Bhubaneshwar- 751023, Orissa	CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208,Phoenix House, A wing,462,Senapati BapatMarg,LowerParel, Mumbai-400013, Maharashtra

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Tο

The President of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India as at March 31, 2015 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20Branches, 37 Regional Offices audited by us out of a total of 4689 branches, 80 Regional Offices, and 1819 branches audited by other branch auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 2850 branches, 43 Regional Offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 9.97% of advances, 30.75% of deposits, 6.69% of interest income and 24.37% of interest expense. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management of the Bank is responsible for the preparation of these financial statements that give true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with Banking Regulation Act, 1949 and complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- 3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- 4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- 5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

- 6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that:
 - i. The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2015, in conformity with accounting principles generally accepted in India.

Abridged Annual Report 2014-15



- ii. The Profit and Loss Account, read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory requirements

- 7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' & 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
- 9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N For P. K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000561N

(CA R. K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY &
JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.B. No.101647W

(CA M. RAY) PARTNER M.No.012940 (CA B. N. MISRA) PARTNER M.No083927 (CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place: Mumbai Date: May 12, 2015



AUDITORS' REPORT ON ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS

M/S. KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES B-12 (Ground Floor) Kalindi Colony, Near Maharani Bagh, New Delhi- 110065	M/S. P K SUBRAMANIAM & CO 11-5-23,Kartik Complex Above Vijaya Bank, Bresthwarpet Raichur- 584101, Karnataka	M/S. DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065
M/S. N SARKAR & CO 21 Prafulla Sarkar Street, 2nd floor Kolkata- 700072, West Bengal	M/S. B N MISRA & CO S-29,Maitri Vihar, Phase-II In front of Satyam Development Centre Bhubaneshwar- 751023, Orissa	M/S. CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208,Phoenix House, wing, 462, Senapati BapatMarg, LowerParel, Mumbai-400013

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged Balance Sheet of Central Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2015, the abridged Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2015 drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949and coveredby our independent auditors report dated May 12, 2015, which is attached hereto.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P. K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.004135S For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA R. K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E For B.N. MISRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E For CHANDABHOY &
JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA M. RAY) PARTNER M.No.012940 (CA B. N. MISRA) PARTNER M.No083927 (CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place : Mumbai
Date: May 12, 2015



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

		(Amount in lac)
PARTICULARS	As at March 31, 2015 (Current Year)	As at March 31, 2014 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	165,827.32	296,743.93
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	206,359.79	191,198.79
Capital Reserve (Note 1)	235,509.85	232,722.89
Share Premium	995,540.23	743,838.93
Revenue and Other Reserves	234,731.30	234,731.30
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	10,000.00	10,000.00
Balance in Profit & Loss a/c.	(102,277.26)	(130,380.08)
Total	1,579,863.91	1,282,111.83
Deposits		
Demand Deposits	1,320,243.00	1,353,698.53
Savings Bank Deposits	7,380,988.98	6,647,374.61
Term Deposits	16,856,007.51	16,005,825.73
Total	25,557,239.49	24,006,898.87
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	1,420,712.41	633,898.35
(b) from other banks	-	319.04
(c) from other institutions and agencies	376,795.94	426,740.21
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	243,730.00	263,730.00
(e) Upper Tier II bonds	288,500.00	288,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	108,300.00	108,300.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds	100,000.00	100,000.00
2. Borrowings outside India	59,375.00	386,490.00
Total [1 & 2]	2,597,413.35	2,207,977.60
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	86,827.60	76,552.24
Inter-office adjustments (net)		-
Interest accrued	155,192.33	166,092.09
Provisions towards standard assets	-	65,793.78
Deferred Tax Liability (net)	11,001.00	59,660.00
Others	1,040,684.88	787,792.10
Total	1,293,705.81	1,155,890.21
Total Capital and Liabilities	31,194,049.88	28,949,622.44



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

		(amount in lac)
PARTICULARS	As at March 31, 2015 (Current Year)	As at March 31, 2014 (Previous Year)
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	1,411,484.87	1,192,662.93
Balances with Banks and money at call and short notice		
Balances with Banks in India	30,449.94	26,045.09
Money at call and short notice in India	20,000.00	-
Balances outside India	19,093.49	19,095.28
Total	69,543.43	45,140.37
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	7,541,014.88	6,789,112.10
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	128,344.62	140,055.81
(d) Debentures and Bonds	1,004,543.77	981,904.67
(e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	30,399.87	30,399.87
(f) Others	838,339.84	671,975.60
2. Outside India	4,748.85	65.94
Total [1 & 2]	9,547,391.83	8,613,513.99
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	209,532.33	223,493.15
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	7,284,969.13	6,667,215.79
(c) Term loans	11,353,251.79	10,840,808.23
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	18,847,753.25	17,731,517.17
Fixed assets	283,316.15	280,438.93
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	353,964.76	308,897.55
Interest accrued	183,977.19	175,750.83
Tax paid in advance/ deducted at source	303,929.28	284,997.10
Deferred Tax Asset (net)	-	-
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	
Stationery and Stamps	1,862.36	1,779.97
Others	190,826.76	314,923.60
Total	1,034,560.35	1,086,349.05
Total Assets	31,194,049.88	28,949,622.44



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

		(amount in lac)
PARTICULARS	As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
	(Current Year)	(Previous Year)
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	10,942.50	11,963.46
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc.	181,340.88	140,058.95
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	6,677,461.78	6,406,023.89
Guarantees given on behalf of constituents	1,150,783.62	1,090,367.93
Acceptances, endorsements and other obligations	991,238.33	1,123,326.17
Other items for which the bank is contingently liable	77,500.00	83,511.07
Total	9,089,267.11	8,855,251.47
Bills for collection	110,608,049.00	767,173.57
Note 1: Includes Revaluation Reserve of ₹181416.00 (last year ₹184012.04)	110,000,049.00	707,170.37



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2015

(amount in lac)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2015 (Current Year)	For the year ended March 31, 2014 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	1,951,728.25	1,861,999.27
On investments	670,705.68	576,385.23
On balances with RBI and inter-bank funds	3,146.08	3,283.88
Others	15,297.93	1,086.59
Total	2,640,877.94	2,442,754.97
Other income		
Commission, exchange and brokerage	87,725.69	82,167.12
Net profit on sale of investments	61,765.83	45,536.69
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(64.30)	(119.30)
Net profit on exchange transactions	20,202.68	19,872.37
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	341.50	278.50
Miscellaneous income	19,451.75	44,522.67
Total	189,423.15	192,258.05
Total income	2,830,301.09	2,635,013.02
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	1,752,030.52	1,637,456.53
On RBI/ inter-bank borrowings	34,784.63	38,088.35
Others	129,355.90	117,771.58
Total	1,916,171.05	1,793,316.46
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	382,493.98	353,700.97
Rent, taxes and lighting	36,790.08	33,356.13
Printing and stationery	5,012.51	4,718.32
Advertisement and publicity	2,544.25	2,654.35
Depreciation on bank's property	22,924.21	20,854.74
Director's fees, allowances and expenses	73.58	89.81
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	2,243.76	1,734.54
Law charges	1,948.71	1,848.23
Postage, telegrams, telephones etc.	6,516.28	5,285.37
Repairs and maintenance	7,438.99	5,876.88
Insurance	24,455.02	19,612.64
Others	65,776.55	68,161.56
Total	558,217.92	517,893.54



[RAJEEV RISHI]

Chairman & Managing **Director**

Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2015

(amount in lac) **PARTICULARS** For the year ended For the year ended March 31, 2014 March 31, 2015 (Current Year) (Previous Year) **Provisions and contingencies** Provisions for depreciation on investment (1,855.77)25,655.74 Provision towards non performing assets 206,214.98 329,201.15 Provision towards standard assets 3,901.84 (734.36)Others (excluding income taxes) 58.621.65 69.143.02 Total 266,882.70 423,265.55 2,741,271.67 2,734,475.55 Total expenses and provisions Profit/(loss) before tax 89,029.42 (99,462.53)Current tax Deferred tax 28,384.60 26,821.66 Profit/(loss) after tax 60,644.82 (126, 284.19)Profit/ Loss brought forward (130,380.08)157.79 **Total** (69,735.26)(126,126.40) **Appropriations** Transfer to: Statutory Reserve 15,161.00 Investment Reserve 5,383.00 4,253.68 Staff Welfare Fund 1,819.00 Revenue Reserves Proposed Dividend - Preference Capital Proposed Dividend - Equity Capital 8,291.00 Fund in lieu of Insurance 200.00 Dividend Tax 1,688.00 Balance carried forward to balance sheet 28,102.82 (130,380.08)

Place: Mumbai

Date: May 12, 2015

[R.C. LODHA]

Executive Director

[R. K. GOYAL]

Executive Director

[B.K. DIVAKARA]

Executive Director



SAURABH GARG DIRECTOR

KRISHAN SETHI DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI DIRECTOR SHEKHAR BHATNAGAR DIRECTOR

Mrs. N.S. RATHNAPRABHA DIRECTOR M.P.SHORAWALA DIRECTOR

> S.B.RODE DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N

(CA R. K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

For N. SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E

> (CA M. RAY) PARTNER M.No.012940

For P. K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.004135S

(CA SRIGOPAL INNANI)
PARTNER
M.No.210087

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA B. N. MISRA) PARTNER M.No083927 For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place : Mumbai Date: May 12, 2015



NOTES TO ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015.

1. Basis of Preparation:

The abridged Financial Statements have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2015 (hereinafter referred to as 'Annual Standalone Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank are contained in Schedule 17 of the 'Annual Standalone Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Annual Standalone Financial Statements. However, as there are no notes and disclosures where there is change in accounting policy or are inviting qualifications or attention in the Auditors' Report, hence no further note/ disclosure is required herein.

(R.C.LODHA)	(B.K.DIVAKARA)	(R. K. GOYAL)	(RAJEEV RISHI)
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing
			Director

SAURABH GARG	SHEKHAR BHATNAGAR	M.P.SHORAWALA
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

KRISHAN SETHI Mrs. N.S. RATHNAPRABHA S.B.RODE DIRECTOR DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI DIRECTOR

Place : Mumbai Date: May 12, 2015



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

			(Rs. In Crore)
Sn	Particulars	31- 03- 2015	31- 03- 2014
Α	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	890.40	(994.55)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	229.24	208.55
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(18.56)	256.56
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	2,062.15	3,292.01
	Provision for Standard Assets	586.95	689.57
	Provision for Other items (Net)	38.18	(5.57)
	Interest on Income Tax (net)	-	(10.87)
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.64	1.19
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	696.03	642.26
	Dividend Received from Subsidiaries	(3.42)	(2.79)
	Interest on JNY coupens	-	5.17
	Sub total	4,481.61	4,081.53
Ш	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	15,503.40	14,030.67
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,894.35	3,774.26
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,744.77	3,285.57
	(Increase) / Decrease in Advances	(13,811.46)	(9,360.91)
	(Increase) / Decrease in Investments	(9,273.39)	(13,777.91)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	669.03	(3,355.52)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(959.85)	(700.54)
	Sub total	(2,233.15)	(6,104.37)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	2,248.46	(2,022.84)
	()		(=,=====
В	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	815.15	49.45
	Purchase of Fixed Assets	(1,099.77)	(405.01)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	3.42	2.79
	Investment in Associate/Subsidiaries	(46.83)	(10.00)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(328.03)	(362.77)
•	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
С		1 007 05	1 700 00
	Share Capital	1,207.85	1,799.99
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	-	- (444.04)
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	-	(411.64)
	Dividend Tax	-	(69.49)
	Interest on JNY Swap coupon	·	(5.17)
	Interest on Subordinated Debt	(696.03)	(642.26)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	511.82	671.43



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

							(Rs. In Crore)
Sn		Pa	articulars		31- 03	- 2015	31- 03- 2014
D	Net increase in cash & c	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)				,432.25	(1,714.17)
Ε	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR						
	Cash and Bank Balance w	vith RBI			11	,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and M	loney at Ca	II and Short Notice			451.40	532.04
	Net cash and cash equiv	alents at th	ne beginning of th	e year	12	2,378.03	14,092.21
F	F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR						
	Cash and Bank Balance with RBI				14	,114.85	11,926.63
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice				695.43	451.40	
	Net cash and cash equiv	alents at th	ne end of the year		14	,810.28	12,378.03
	[R.C. LODHA] [B.K. DIVAKARA] [R. K. GOYAL] Executive Director Executive Director				4	Chairman	EV RISHI] & Managing ector
For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS For P. K. SUBRAMANIAM & CHARTERED ACCOUNTAIN						SOCIATES DUNTANTS	

F.R. No.000131N

(CA R. K. AGGARWAL) PARTNER M.No.081510

For N. SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E

> (CA M. RAY) PARTNER M.No.012940

Place : Mumbai Date: May 12, 2015 F.R. No.004135S

(CA SRIGOPAL INNANI) PARTNER M.No.210087

For B.N. MISRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E

> (CA B. N. MISRA) **PARTNER** M.No083927

(CA MUKESH GOYAL) **PARTNER**

F.R. No.000561N

For CHANDABHOY & **JASSOOBHOY**

M.No.081810

F.R. No.101647W (CA AMBESH A. DAVE)

CHARTERED ACCOUNTANTS

PARTNER M.No.049289



KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES B-12, Ground Floor Kalindi Colony New Delhi – 110 065	P. K. SUBRAMANIAM & CO 11-5-23,Karthik Complex Above Vijaya Bank Bresthwarpet Raichur-584 101, Karnataka.	DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash New Delhi – 110 065
N. SARKAR & CO	B.N. MISRA & CO	CHANDABHOY & JASSOOBHOY
21, Prafulla Sarkar Street	S-29, Maitri Vihar, Phase – II, Infront of	208,Phoenix House, A wing, 462,
2nd floor	Satyam Development Centre	Senapati Bapat Marg,Lower Parel,
Kolkata – 700 072, West Bengal	Bhubaneswhwar - 751 023, Orissa	Mumbai-400013, Maharashtra

Independent Auditors' Report On Consolidated Financial Statements

To The Board of Directors of CENTRAL BANK OF INDIA

- 1. We have audited the accompanying **consolidated** financial statements of Central Bank of India ("The Bank"), its subsidiaries and associates (collectively referred to as "The Group") which comprise of the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2015, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated:
 - (i) Audited accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,
 - (ii) Audited accounts of two Subsidiaries & three Regional Rural Banks (RRB), all of which are audited by other auditors,
 - (iii) Accounts of an Associate for a period of nine months audited by other auditor and unaudited accounts of the said Associate for the three months period ended March 31, 2015.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- 3.1 Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- 3.2 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
- **3.3** We believe that the audit evidence obtained by us and the other auditors is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on consolidated financial statements.

Opinion

- 4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- i. in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2015;
- ii. in the case of consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and

Abridged Annual Report 2014-15



iii. in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of matter

- 5. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 "Emphasis of Matter Paragraph", without qualifying our opinion, we draw attention to the following:
 - (i) During the current year, Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability of Rs. 3 crore on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 towards compliance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15 dated August 22,2014.
 - (ii) The auditor of Cent Bank Home Finance Ltd. has reported that company's current liabilities exceeded its current assets. This mismatch needs attention of the management.
 - (iii) In the consolidated financial statement which includes share of profit of Rs. 3.24 crore of one of the RRB viz. Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB), the Auditor has again drawn attention regarding tracking of NPA movements, provisioning in respect of Income Tax, TDS, Service Tax and outstanding entries in inter office adjustment account etc., the impact of which on the financial statements of CMPGB could not be ascertained.
 - (iv) Similarly, in Uttar Bihar Gramin Bank (UBGB), share of profit included in consolidated financial statement Rs. 35.46 crore, the Auditor has drawn attention towards provisioning of Income Tax, the impact of which on the financial statements of UBGB could not be ascertained.

6. Other matter

We did not audit the financial statements of (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs. 896.53 crore as at March 31, 2015 and total revenue of Rs. 88.98 crore and net cash flows amounting to Rs. 23.22 crore for the year ended on that date; and (ii) Associates (three Regional rural banks and one other associate) reflecting net profit of Rs. 173.76 crore (the Bank's share Rs. 52.06 crore) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.004135S For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W

(CA G.MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

(CA B.N.MISRA) PARTNER M.No.083927 (CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

Place: Delhi Date: May 25, 2015



AUDITORS' REPORT ON ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES B-12, Ground Floor Kalindi Colony New Delhi – 110 065	P. K. SUBRAMANIAM & CO 11-5-23,Karthik Complex Above Vijaya Bank Bresthwarpet Raichur-584 101, Karnataka.	DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash New Delhi – 110 065
N. SARKAR & CO	B.N. MISRA & CO	CHANDABHOY & JASSOOBHOY
21, Prafulla Sarkar Street	S-29, Maitri Vihar, Phase – II, Infront of	208,Phoenix House, A wing, 462,
2 nd floor	Satyam Development Centre	Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Kolkata – 700 072, West Bengal	Bhubaneswhwar - 751 023, Orissa	Mumbai-400013, Maharashtra

To the Board of Directors of Central Bank of India

We have examined the attached abridged consolidated Balance Sheet of Central Bank of India & its subsidiaries & associates (collectively known as the "Group") as at March 31, 2015, the abridged consolidated Profit and Loss Account and also the consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Consolidated Financial Statements).

These abridged consolidated financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.FNo.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited consolidated financial statements of the Group for the year ended March 31, 2015 prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard - 21, 'Consolidated Financial Statements' and Accounting Standard 23 - 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and covered by our report dated May 25, 2015 to the Board of Directors of the Bank, which is attached hereto.

For KUMAR CHOPR	A	&
ASSOCIATES		

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA R.K. AGGARWAL) **PARTNER**

M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA) **PARTNER**

M.No. 208698

(CA MUKESH GOYAL) **PARTNER** M.No.081810

For N. SARKAR & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E

(CA G. MUKHOPADHYAY) **PARTNER** M.No. 010534

For B.N.MISRA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E

> (CA B.N. MISRA) **PARTNER** M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No. 101647W

> (CA AMBESH A. DAVE) **PARTNER** M.No.049289

Place : Delhi Date: May 25, 2015



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

		(amount in lac)
PARTICULARS	As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
	(Current Year)	(Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	165,827.32	296,743.93
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	207,491.31	192,330.31
Capital Reserve (Note 1)	235,509.86	232,722.90
Share Premium	995,540.23	743,838.93
Revenue and Other Reserves	231,958.83	231,865.83
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	11,067.37	10,705.17
Balance in Profit & Loss a/c.	(73,898.09)	(107,187.33)
Total	1,607,669.51	1,304,275.81
Minorities Interest	3,273.08	3,081.98
Deposits Demand Deposits	1,319,234.56	1,352,775.27
Savings Bank Deposits	7,380,988.98	6,647,374.61
Term Deposits	16,893,936.38	16,034,302.73
Total	25,594,159.92	24,034,452.61
Borrowings		24,004,402.01
Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	1,420,712.41	633,898.35
(b) from other banks	1,720,712.71	319.04
(c) from other institutions and agencies	389,341.32	432,518.08
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	243,630.00	263,630.00
(e) Upper Tier II bonds	288,500.00	288,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	108,300.00	108,300.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	100,000.00	100,000.00
Borrowings outside India	59,375.00	386,490.00
Total [1 & 2]	2,609,858.73	
Other Liabilities & Provisions	2,009,030.73	2,213,655.47
	06 007 60	76 550 04
Bills payable	86,827.60	76,552.24
Inter-office adjustments (net) Interest accrued	155 447 00	166 100 00
	155,447.30	166,100.29
Provisions towards standard assets	58,713.00	66,039.66
Deferred Tax Liability (net)	11,027.16	59,667.07
Others	983,777.61	788,895.30
Total	1,295,792.67	1,157,254.56
Total Capital and Liabilities	31,276,581.23	29,009,464.36



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

PARTICULARS	As at	(amount in lac) As at
	March 31, 2015	March 31, 2014
	(Current Year)	(Previous Year)
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	1,411,637.43	1,192,663.08
Balances with banks and money at call and short notice		
Balances with banks in India	33,072.00	26,873.26
Money at call and short notice in India	20,000.00	-
Balances outside India	19,093.49	19,095.28
Total	72,165.49	45,968.54
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	7,541,578.78	6,789,466.02
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	128,344.62	140,055.81
(d) Debentures and Bonds	1,004,543.77	981,904.67
(e) Investments in Associates	41,574.19	37,532.27
(f) Others	838,339.86	671,975.62
2. Outside India	11,154.34	5,306.04
Total [1 & 2]	9,565,535.56	8,626,240.43
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	209,532.33	223,493.15
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	7,280,354.16	6,665,875.27
(c) Term loans	11,416,866.18	10,886,092.41
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	18,906,752.67	17,775,460.83
Fixed assets	283,406.06	280,544.54
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	353,964.76	308,897.55
Interest accrued	184,298.06	176,005.26
Tax paid in advance/ deducted at source	304,612.12	285,718.17
Deferred Tax Asset (net)	-	-
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
Stationery and Stamps	1,862.36	1,779.98
Others	191,457.76	315,297.02
Total	1,036,195.06	1,087,697.98
Goodwill on Consolidation	888.96	888.96
Goodwill on Consolidation	000.00	000.00



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2015

		(amount in lac)
PARTICULARS	As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
	(Current Year)	(Previous Year)
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	10,942.50	11,963.46
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc	181,376.60	140,058.94
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	6,677,461.78	6,406,023.89
Guarantees given on behalf of constituents	1,150,783.62	1,090,367.93
Acceptances, endorsements and other obligations	991,238.33	1,123,326.17
Other items for which the bank is contingently liable	77,525.00	83,831.28
Total	9,089,327.83	8,855,571.67
Bills for collection	1,106,080.49	767,173.57

Note 1: Includes Revaluation Reserve of Rs. 181416.01 (last year Rs. 184012.05)



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ending March 31, 2015

		(amount in lac)
PARTICULARS	For the year ended March 31, 2015 (Current Year)	For the year ended March 31, 2014 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	1,958,363.92	1,866,956.40
On investments	670,788.87	576,505.26
On balances with RBI and inter-bank funds	3,146.08	3,283.88
Others	15,298.88	1,086.00
Total	2,647,597.75	2,447,831.54
Other income		
Commission, exchange and brokerage	88,321.26	82,168.47
Net profit on sale of investments	61,765.83	45,536.69
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(64.30)	(119.30)
Net profit on exchange transactions	20,202.68	19,872.37
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	0.10	-
Miscellaneous income	19,813.85	45,679.49
Total	190,039.42	193,137.72
Total income	2,837,637.17	2,640,969.26
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	1,754,859.24	1,639,692.52
On RBI/ inter-bank borrowings	35,741.78	38,844.30
Others	129,364.35	117,771.58
Total	1,919,965.37	1,796,308.40
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	383,061.22	354,148.61
Rent, taxes and lighting	36,969.91	33,580.85
Printing and stationery	5,022.22	4,729.80
Advertisement and publicity	2,554.34	2,660.24
Depreciation on bank's property	22,962.07	20,880.30
Director's fees, allowances and expenses	112.82	129.11
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	2,250.47	1,738.45
Law charges	2,073.12	1,897.89
Postage, telegrams, telephones etc.	6,537.78	5,296.63
Repairs and maintenance	7,443.13	5,884.00
Bad Debts Written Off	156.34	131.21
Insurance	24,455.57	19,612.80
Others	66,065.20	68,317.79
Total	559,664.19	519,007.68
	-	



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ending March 31, 2015

:)

PARTICULARS	For the year ended For the year ended		
	March 31, 2015 (Current Year)	March 31, 2014 (Previous Year)	
Provisions and contingencies		,	
Provisions for depreciation on investment	(1,855.77)	10,618.10	
Provision towards non performing assets	206,214.98	329,111.46	
Provision towards standard assets	58,697.02	(681.84)	
Others (excluding income taxes)	3,968.39	84,173.10	
Total	267,024.62	423,220.82	
Total expenses and provisions	2,746,654.18	2,738,536.90	
Profit/(loss) before tax	90,982.99	(97,567.64)	
Current tax	540.83	27,647.70	
Deferred tax	28,612.61	(64.13)	
Profit/(loss) after tax	61,829.55	(125,151.20)	
Add: Share of earnings in Associates	5,207.31	4,230.89	
Less Minority Interest	(430.94)	(402.16)	
Less: Profit pre Acquisition	-	(14.71)	
Group Profit	66,605.92	(121,337.19)	
Profit/ Loss brought forward	(107,187.33)	24,136.67	
Less Decrease in brought forward Consolidated Profit due to transfer of Investment in Associates	-	5,261.48	
Total	(40,581.41)	(102,462.00)	
Appropriations			
Transfer to:			
Statutory Reserve	15,161.00	-	
Investment Reserve	5,383.00	4,253.68	
Staff Welfare Fund	1,819.00	-	
Revenue Reserves	93.00	79.00	
Proposed Dividend - Preference Capital	-	-	
Proposed Dividend - Equity Capital	8,291.00	-	
Fund in lieu of Insurance	200.00	-	
Dividend Tax	1,776.93	79.95	
Special Reserve u/s 36 (1) (viii)	362.20	312.70	
Appropriation of DTL on spe.Reser.as per NHB guidelines	211.28		
CSR Reserves as per companies Act	19.27		
Balance carried forward to balance sheet	(73,898.09)	(107,187.33)	

[R.C. LODHA]
Executive Director

[B.K. DIVAKARA] Executive Director

[R. K. GOYAL] Executive Director [RAJEEV RISHI] Chairman & Managing Director

Place: Delhi Date: May 25, 2015



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ending March 31, 2015

SAURABH GARG DIRECTOR SHEKHAR BHATNAGAR DIRECTOR M.P.SHORAWALA DIRECTOR

KRISHAN SETHI DIRECTOR Mrs. N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S.B.RODE DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N

(CA R. K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

(CA G. MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No. 010534

For P. K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.004135S

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER
M.No. 208698

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA B. N. MISRA) PARTNER M.No083927 For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place: Delhi

Date: May 25, 2015



NOTES TO ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

1. Basis of Preparation:

The abridged Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of the audited consolidated financial statements of the Bank & its subsidiaries & associates for the year ended March 31, 2015 (hereinafter referred to as 'Consolidated Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank including the basis of preparation of consolidated accounts are contained in Schedule 17 of the 'Consolidated Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements. However, notes and disclosures where there is change in accounting policy or are inviting qualifications or attention in the Auditors' Report are given in para 4, 5 and 6 below.

- 4. During the current year Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability of Rs. 3 crore on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act,1961 towards compliance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB (ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15 dated August 22, 2014.
- 5. The auditor of Cent Bank Home Finance Ltd. has observed that company's current liabilities exceeded its current assets. This mismatch needs attention of the management.
- 6. In the consolidated financial statement which includes share of profit of Rs. 3.24 crore of one of the RRB viz. Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB), the Auditor has again drawn attention regarding tracking of NPA movements, provisioning in respect of Income Tax, TDS, Service Tax and outstanding entries in inter office adjustment account etc., the impact of which on the financial statements of CMPGB could not be ascertained.

Similarly, in Uttar Bihar Gramin Bank (UBGB), share of profit included in consolidated financial statement Rs. 35.46 crore, the Auditor has drawn attention towards provisioning of Income Tax, the impact of which on the financial statements of UBGB could not be ascertained.

7. The accounting year of the associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. However share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures.

(R.C.LODHA)(B. K. DIVAKARA)(R. K. GOYAL)(RAJEEV RISHI)Executive DirectorExecutive DirectorExecutive DirectorChairman & Managing Director

(SAURABH GARG) (SHEKHAR BHATNAGAR) (M. P. SHORAWALA)
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

(KRISHAN SETHI) (Ms.N.S. RATHNAPRABHA) (S. B. RODE)
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

(GURBAX KUMAR JOSHI)
DIRECTOR



NOTES TO ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000131N

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES For P.K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.004135S

For DOOGAR &ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000561N

(CA R.K. AGGARWAL) **PARTNER**

M.No.081510

(CA VEERABASANA GOUDA)

PARTNER M.No. 208698 (CA MUKESH GOYAL)

PARTNER M.No.081810

For N. SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.321095E

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No. 101647W

(CA G. MUKHOPADHYAY) **PARTNER**

M.No. 010534

Place: Delhi

Date: May 25, 2015

(CA B.N. MISRA) **PARTNER** M.No.083927

(CA AMBESH A. DAVE)

PARTNER M.No.049289



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

			(Rs. In Crore)
Sn	Particulars	31- 03- 2015	31-03-2014
Α	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	909.93	(975.67)
1	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	229.62	208.81
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(18.56)	256.56
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	2,061.98	3,291.16
	Provision for Standard Assets	588.55	690.10
	Provision for Other items (Net)	38.18	(5.62)
	Interest on Income Tax (net)	-	(10.87)
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.64	1.19
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	696.03	642.26
	Loss on redemption of investment	-	0.01
	Interest on JNY coupens	-	5.17
	Sub total	4,506.37	4,103.10
Ш	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	15,597.07	14,125.44
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,962.03	3,741.26
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,853.26	2,760.79
	(Increase) / Decrease in Advances	(13,963.45)	(9,429.83)
	(Increase) / Decrease in Investments	(9,379.63)	(13,778.82)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	665.80	(3,301.86)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(967.74)	(709.80)
	Net Cash from operating activities (A)	(2,232.66)	(6,592.82)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	2,273.71	(2,489.72)
В	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	815.27	49.51
	Purchase of Fixed Assets	(1,100.11)	(405.14)
	Investment in RRBs/Associates	(46.83)	(13.41)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(331.67)	(369.04)
•	OAGU ELOW EDGIA EINANGING ACTIVITIES		
С	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	4 007 05	4 004 00
	Share Capital	1,207.85	1,801.90
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	(1.34)	(1.22)
	Dividend Tax	(0.81)	(0.65)
	Interest on JNY Swap coupon	(222.22)	(5.17)
	Interest on Subordinated Debt	(696.03)	(642.26)
_	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	509.67	1,152.60
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	2,451.71	(1,706.16)



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

					(Rs. In Crore)
Sn		Particulars	3	31- 03- 2015	31-03-2014
Е	CASH AND CASH EQUI	VALENTS AT THE BEGINNING	OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance	with RBI		11,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and I	Money at Call and Short Notice		459.69	532.31
	Net cash and cash equi	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year			14,092.48
F	Cash and Bank Balance		E YEAR	14,116.37 721.66	11,926.63 459.69
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice Net cash and cash equivalents at the end of the year			14,838.03	12,386.32
	[R.C. LODHA]	[B.K. DIVAKARA]	[R. K. GOYAL]	[RA r Chairn	JEEV RISHI]

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000131N

(CA R. K. AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

For N. SARKAR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E

(CA G. MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No. 010534

For P. K. SUBRAMANIAM & CO CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.004135S

(CA VEERABASANA GOUDA)
PARTNER

M.No. 208698

For B.N. MISRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E

> (CA B. N. MISRA) PARTNER M.No083927

For DOOGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

As per our report of even date

Place : Delhi

Date: May 25, 2015





Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

8th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-	·ld #				
No. of Shares held					
I/We,		resident of _			in the
district of	in the State	of	b	eing a shareholde	r /shareholders of
Central bank of India hereby	appoint Shri/Smt				
resident of					
in the district of		in the State of	·		$_{-}$ or failing him/
her, Shri/Smt.		resident of		ir	the district of
	in the State of _		as	s my/our proxy to v	ote for me/us and
on my/our behalf at the 8th A	NNUAL GENERAL ME	EETING of the share	eholders of CENT	RAL BANK OF IN	DIA to be held on
Tuesday, 30th June, 2015 at	11.00 AM at Sir Sorabji	Pochkhanawala Ba	nker's Training Co	ollege, Nr. Cooper	Hospital/Reliance
Energy Office, JVPD Scheme	e, Vile Parle (West), Mu	ımbai – 400 056 ar	nd at any adjournr	nent thereof.	
Signed this	day of		2015.		
Signature of the Proxy				Please affix	;
· ,				revenue	e
				stamp	
			Signature	of the first named/	sole Shareholder
Name					
(in Block Letters)					
Address					



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- 2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
- 3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2015, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
- 4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- 8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- 9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.





Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

Annual General Meeting - Tuesday, 30th June, 2015

Regd. Folio/DPID	& Client ID/No. of Shares			
Name and address				
(In Block Letters)				
Joint Holders				
Name of the	Dues us le al de u/De europe entatisse			
Present in Block I	Proxy-holder/Representative etters (if any)			
T TOOOTH III BIOOK I	zonoro (ii uriy)			
Signature of the Member/Proxy/				
		Representative Present		
D 10.	T 1 00th 1 0045			
Day and Date	Tuesday, 30 th June, 2015			
Place	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056			
	JVPD Scheme, vile Parie (w	est), Mumbai – 400 056		
		Entry Pass		
(To be retained throughout the meeting)				
Regd. Folio/DPID	& Client ID/No. of Shares			
Name of Member				
No. of Shares				

Name and signature of attending Member/ Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

